राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित,भोपाल

कालोनी का विवरण- कालोनी पूर्ण विकसित कर सभी सदस्यों के नाम रजिस्ट्री करा जा चुकी है। सदस्यों ने अपने भवन निर्माण कर लिया है। कालोनी रखरखाव (मेंटेंनेंस) हेतु नगर निगम को हस्तांतरित की जा चुकी है। संस्था की भूमि का भू-परिवर्तन एवं कालोनी ले-आउट अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुज़ूर न्ययालय से स्वीकृति। पत्र संलग्न।

(118)

सत्यप्रतिलिपि राजस्व प्रकरण क्रमांक ५/अ-२/८६-८७ आदेश दिनांक २५-१०-८६ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक ५/अ-२/८६-८७

" राजश्री गृह निर्माण सहकारी
समिति मर्यादित, भोपाल
द्वारा : अध्यक्ष, श्री [illegible] वाजपेयी,
नि० टी०टी०नगर, भोपाल। .... आवेदक

- विरुद्ध -

म०प्र० शासन. .... अनावेदक

:: आदेश ::

(म०प्र० भू० राजस्व, संहिता की धारा १७२(१) अंतर्गत)

(आज दिनांक २५-१०-८६ को पारित)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक समिति ने अधीक्षक भू-अभिलेख (परि०भूमि) भोपाल के समक्ष [illegible] पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम [illegible] प०ह०नं० [illegible] तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित कृषि भूमि खसरा नं० [illegible] रकबा [illegible] एकड़ का व्यपवर्तन आवासीय प्रयोजन हेतु किया जावे। प्रकरण म०प्र०भू०रा० संहिता १९५९, की धारा १७२(१) के अंतर्गत [illegible] अधीक्षक भू-अभिलेख (परि० भूमि) भोपाल से प्राप्त हुआ।

२- प्रकरण में संलग्न अभिलेख से स्पष्ट है कि ग्राम [illegible] नगर निगम सीमा, भोपाल से बाहर स्थित है। आवेदक समिति ने [illegible] भूमि आवेदक समिति के भूमि स्वामी स्वत्व में [illegible] आवेदक संस्था का पंजीयन क्रमांक-डी०आर०बी०/३२८ दिनांक [illegible] है। आवेदक संस्था ने म०प्र० विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण अधिनियम, १९८२ की धारा २४ के अंतर्गत कलेक्टर, भोपाल से [illegible] स्थापना हेतु [illegible] ८४, दिनांक ४-८-८५ प्राप्त कर लिया है। संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश म०प्र० भोपाल ने अपने पत्र क्रमांक-४२९/विधि/नग्रानि/८४, दिनांक ११-१-८५ द्वारा सूचित किया है कि ग्राम [illegible] भोपाल [illegible] क्षेत्र के बाहर स्थित है तथा वर्तमान में भोपाल की [illegible] योजना में किसी उपयोग हेतु आरक्षित नहीं है। भोपाल विकास प्राधिकरण ने अपने पत्र क्रमांक-७२१/विका/राजस्व/८५, दिनांक ८-७-८५ द्वारा कोई आपत्ति होना नहीं दर्शाया है। नगर निगम भोपाल ने अपने पत्र क्रमांक [illegible]/८५, दिनांक [illegible]-१८-४-८५ द्वारा कोई आपत्ति होना नहीं बताया है। ग्राम पंचायत बैरागढ़ चीचली ने अपने पत्र दिनांक ७-८-८६ द्वारा प्रस्तावित व्यपवर्तन किये जाने में कोई आपत्ति होना नहीं दर्शाई है [illegible]

अभिन्यास।लेआउट अनुमोदित किया [illegible] [illegible] प्रस्तुत किया गया । प्रस्ताधीन [illegible] रू० ४,३५,५०५-०० (चार लाख पैंतीस हजार पांच सौ पांच रुपये) प्रस्तावित किया गया है । [illegible] विकास कार्य का २० रू० ८७,१००-०० ([illegible] हजार [illegible] सौ रुपये) होता है । [illegible] विरुद्ध समिति ने रू० ४२८०-०० (चार हजार [illegible] सौ [illegible] रुपये) [illegible] डिपाजिट रसीद क्रमांक-बी-२५१८६२ दिनांक २१-१०-८८ सेन्ट्रल बैंक [illegible] शाखा टी०टी०नगर, भोपाल में जमा कराते हुये रसीद प्रस्तुत की है । जो [illegible] संहिता की धारा १७२(३) के अंतर्गत है । शेष राशि रू० ८२,७८०।-(बयासी हजार सात सौ [illegible] रुपया मात्र) के संबंध में क्रमशः दो जमानतदार (१) राजदेव गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, भोपाल की ग्राम [illegible] स्थित कृषि भूमि रकबा ३-६४ [illegible] (२) श्री [illegible]चन्द्र आ० [illegible] बाजपेयी नि० भोपाल की ग्राम [illegible]डिया स्थित कृषि भूमि रकबा २ एकड़ की प्रस्तुत की है जो स्वीकार की जाती है । अधीक्षक भू-अभिलेख (परि०भूमि) भोपाल ने अपने प्रतिवेदन में प्रस्ताधीन भूमि व्यपवर्तन किये जाने की अनुशंसा की है ।

३- उपर्युक्त विवेचना के आधार पर आवेदक समिति के पक्ष में आवेदित व्यपवर्तन संहिता की धारा १७२(१) के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमती दिया जाना आदेशित किया जाता है :--

(अ) प्रस्ताधीन [illegible] [illegible] [illegible] अनुसार ही किया जायेगा [illegible] [illegible] में बाधा उत्पन्न होने पर उक्त अनुमति निरस्त [illegible] जावेगी । किसी पानी [illegible] की व्यवस्था समिति को करना अनिवार्य है ।

(ब) उक्त समिति को व्यपवर्तन भूमि का विकास कार्य तीन वर्ष समयावधि के भीतर [illegible] अनिवार्य होगा ।

(स) प्रस्ताधीन ग्राम[illegible]पुरा की जनसंख्या २००० (दो हजार) से कम होने से प्रीमियम नहीं की जाती है ।

(द) प्रस्ताधीन भूमि पर लगान १९२८-२० (एक हजार नौ सौ अट्ठाईस रुपये बीस पै० मात्र) पुनर्निर्धारित भू-राजस्व वर्ष १९८८-८९ से निर्धारित किया जाना आदेशित किया जाता है । तदनुसार उक्त भूमि पर भू-राजस्व भी कम किया जाता है ।

४- यह आदेश आज दिनांक २५-१०-८८ को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से युक्त न्यायालय द्वारा जारी किया गया ।

सही।-
(रामस्वरूप शर्मा)
अनुविभागीय अधिकारी,
तहसील हुजूर भोपाल.

[illegible]

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 6/अ-2/86-87

'' राजश्री गृह निर्माण सहकारी
समिति मर्यादित भोपाल ''
द्वारा:- अध्यक्ष श्री ब्रह्मस्वरूप वाजपेयी
टी०टी० नगर भोपाल - - - - - - - - - - - - - - -आवेदक

विरुद्ध

म०प्र० शासन - - - - - - - - - - - - - - -अनावेदक

आदेश

(म०प्र० भू०रा० संहिता 1959 की धारा 172(1) के अंतर्गत),
आज दिनांक 25-10-86 को पारित

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक समिति ने अधीक्षक भू अभिलेख (परि० भूमि) भोपाल के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम नयापुरा प०ह०नं० 38 तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि खसरा क्रमांक 61/2, 61/2/2 क्षेत्रफल 4 एकड़ का व्यपवर्तन आवासीय प्रयोजन हेतु किया जाय। प्रकरण म०प्र० भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 172(1) के अंतर्गत जाँच प्रतिवेदन सहित अधीक्षक भू अभिलेख ने इस न्यायालय को प्रेषित किया।

2/ प्रकरण में संलग्न अभिलेखों से स्पष्ट है कि ग्राम नयापुरा नगर निगम भोपाल की सीमा से बाहर स्थित है। राजस्व अभिलेखों में प्रश्नाधीन भूमि आवेदक समिति के भूमि स्वामित्व में अंकित है। आवेदक संस्था का पंजीयन क्रमांक डी०आर०बी०/318 दिनांक 8-2-83 है। आवेदक संस्था ने म०प्र० निर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम 1982 की धारा 24 के अंतर्गत कलेक्टर भोपाल से कालोनी स्थापना हेतु लाईसेंस क्रमांक 9/रीडर/85 दिनांक 4-6-85 प्राप्त कर लिया है। संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश म०प्र० भोपाल ने अपने पत्र क्रमांक 429/विधि/नग्रानि/84 दिनांक 11-1-85 द्वारा सूचित किया है। कि उक्त ग्राम भोपाल निवेश क्षेत्र के बाहर है। तथा वर्तमान में भोपाल की स्वीकृत विकास योजना में किसी उपयोग हेतु आरक्षित नहीं है। भोपाल विकास प्राधिकरण ने अपने पत्र क्रमांक 73/वि०अ०स०/राजस्व/85 दिनांक 8-7-85 द्वारा कोई आपत्ति होना नहीं दर्शाया है। नगर निगम भोपाल ने अपने पत्र क्रमांक 678/नि०भो०/8 दिनांक 18-4-85 द्वारा कोई आपत्ति होना नहीं दर्शाया है। ग्राम पंचायत बैरागढ़ चीचली ने अपने पत्र दिनांक 7-8-86 द्वारा प्रश्नाधीन व्यपवर्तन किये जाने में कोई आपत्ति होना नहीं दर्शाया है। इसके

की कालोनी का अभिन्यास/लेआउट भी अनुमोदित किया है। जिसे इस न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया। प्रश्नाधीन कोलोनी का विकास व्यय रूपये [illegible] 470=00 (चार लाख चौंतीस हजार चार सौ सत्तर रूपये मात्र) प्राक्कलित किया गया है। इस विकास कार्य के व्यय का 20% 86894=00 (छियासी हजार आठ सौ चौरानवे रूपये) होता है जिसके विरूद्ध आवेदक संस्था ने रूपये 4360=00 (चार हजार तीन सौ साठ रूपये) का फिक्स डिपाजिट रसीद क्रमांक बी-351364 दिनांक 21-10-86 सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया टी0टी0 नगर भोपाल शाखा में जमा कराते हुये रसीद प्रस्तुत की है। जो संहिता की धारा 172(3) के अंतर्गत है। शेष राशि रूपये 82534/- के संबंध में जमानतदार (1) राजवेद गृह निर्माण सहकारी समिति भोपाल की रतनपुर स्थित कृषि भूमि 3-94 एकड़ तथा (2) श्री सुरेशचन्द्र वाजपेयी सा0 [illegible] निवासी भोपाल की ग्राम [illegible] बैरागढ़ स्थित कृषि भूमि [illegible] 2 एकड़ की जमानत प्रस्तुत की जो स्वीकार की गई अधीक्षक भू-अभिलेख (पी0 भूमि) भोपाल ने अपने प्रतिवेदन में प्रश्नाधीन व्यपवर्तन अनुमत किये जाने की अनुशंसा की है।

3/ उपर्युक्त विवेचना के आधार पर आवेदक समिति के पक्ष में आवेदित व्यपवर्तन संहिता की धारा 172(1) के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमत किया जाना आदेशित किया जाता है-

(अ) प्रश्नाधीन निर्माण कार्य इस स्वीकृत लेआउट अनुसार ही किया जावेगा, सार्वजनिक निस्तार सुविधा एवं जनस्वास्थ्य में बाधा उत्पन्न होने पर उक्त अनुमति निरस्त कर दी जावेगी बिजली, पानी एवं प्रकाश आदि की व्यवस्था समिति को करना अनिवार्य है।

(ब) उक्त समिति को व्यपवर्तन भूमि का विकास कार्य तीन वर्ष की अवधि के भीतर करना अनिवार्य होगा।

(स) प्रश्नाधीन ग्राम नयापुरा की जनसंख्या दो हजार से कम होने से प्रब्याजी कायम नहीं की जाती है।

(द) प्रश्नाधीन भूमि पर 2003=75 पैसे (दो हजार तीन रूपये पचहत्तर पैसे मात्र पुर्ननिर्धारण भू राजस्व वर्ष 1986-87 से निर्धारित किया जाना आदेशित किया जाता है। तदानुसार उक्त भूमि का भू राजस्व भी कम किया जाना आदेशित किया जाता है।

4/ यह आदेश आज दिनांक 25-10-86 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से खुले न्यायालय में प्रसारित किया गया।

सही/ हस्ता0
(रामस्वरूप शर्मा)
अनुविभागीय अधिकारी
तहसील हुजूर भोपाल

प्र0क्र0 1171/प्रवा0 1/86 भोपाल दिनांक 25-10-86

प्रतिलिपिः-

तहसीलदार तहसील हुजूर भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित

26/11/82

27/11/82

27/11/82

27/11/82

27/11/82

27/11/82

27/11/82

27/11/82

27/11/82

65

सत्यप्रतिलिपि अनुविभ आदेश दिनांक 30/जून/1989
न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तह. हुजुर. भोपाल
प्रकरण क्रमांक 50/अ-2/88-89
राजर्षि गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित
विरुद्ध
मध्यप्रदेश शासन 5

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजुर, भोपाल (म०प्र०)

राजस्व प्रकरण क्रमांक 50/अ-2/88-89

राजर्षि गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित,
भोपाल द्वारा अध्यक्ष श्री बी०एस०वाजपेयी,
निवासी भोपाल - - - - - - - - - - - - - आवेदक

विरुद्ध

म०प्र० शासन - - - - - - - - - - - - - - अनावेदक

-:: आ दे श ::-

(मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 172 (1) के अन्तर्गत)

-:: आज दिनांक 30/जून/1989 को पारित ::-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक/समिति ने इस न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम बिनोतिया आलम प० ह० न० 38, तहसील हुजुर, जिला भोपाल स्थित कृषि भूमि खसरा क्रमांक 3/1, 3/2, 3/3, 5/1, 5/2, 5/3, 7/1, 7/2, 7/3 एवं 11/1 कुल क्षेत्रफल 24-70 एकड़ का व्यपवर्तन आवासीय परियोजन हेतु किया जाये। प्रकरण जांच प्रतिवेदन हेतु अधीक्षक भू-अभिलेख परिवर्तित भूमि जिला भोपाल को भेजा गया। अधीक्षक भू-अभिलेख परिवर्तित भूमि जिला भोपाल ने प्रकरण मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 (1) के अन्तर्गत पंजीबद्ध कर जांच प्रतिवेदन सहित इस न्यायालय को प्रस्तुत किया।

2:- प्रकरण में उपलब्ध खसरा प्रति वर्ष 1988-89 से स्पष्ट है कि आवेदक/समिति राजस्व अभिलेखों में प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी के रूप में अंकित है। आवेदक/समिति का पंजीयन क्रमांक डी०आर०बी० 318 दिनांक 8/2/83 है। आवेदक/समिति ने कलेक्टर भोपाल से कालोनी स्थापना हेतु कालोनाईजर्स लायसैंस क्रमांक 9/रीडर/85 दिनांक 4/6/85 है। नगर ग्रामीण निवेशन विभाग भोपाल के पत्र क्र० 2146 दिनांक 22/11/88 द्वारा उक्त खसरा नम्बर शासन द्वारा

सत्यप्रतिलिपि

स्वीकृत भोपाल विकास योजना क्षेत्र एवं निवेश क्षेत्र के बाहर है । आवेदक/समिति द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत बैरागढ़ चीचली से उक्त भूमि का अभिन्यास स्वीकृत कराते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, जो प्रकरण में संलग्न है । आवेदक/समिति ने प्रश्नाधीन भूमि के विकास व्यय का प्राक्कलन रुपये 15,26,300/- (पन्द्रह लाख छब्बीस हजार तीन सौ रुपये) मात्र का स्टीमेट प्रस्तुत किया है, जिसका कि 1/5 भाग रुपये 3,05,260/- होता है । आवेदक/समिति द्वारा इलाहाबाद बैंक माता मंदिर शाखा भोपाल में एफ०डी०आर० क्र० 757919/42/168 दिनांक 28/6/89 द्वारा रुपये 76,350/- (छिहत्तर हजार तीन सौ पचास रुपये मात्र) जमा कराते हुए रसीद प्रस्तुत की है, जो कि विकास व्यय की राशि का 5 प्रतिशत होता है । शेष राशि के संबंध में जमानतदार (1) राजवेद गृह निर्माण सहकारी समिति की ग्राम नयापुरा स्थित 3-00 एकड़ कृषि भूमि (2) ब्रह्मस्वरूप वाजपेयी की ग्राम बैरागढ़ चीचली स्थित 10-00 एकड़ की जमानत प्रस्तुत की है, जो प्रकरण में संलग्न है । अधीक्षक भू-अभिलेख परिवर्तित कृषि जिला भोपाल ने प्रस्तावित व्यपवर्तन करने की अनुशंसा की है ।

3:- उपर्युक्त विवेचना के आधार पर आवेदक/संस्था के पक्ष में आवेदित व्यपवर्तन संहिता की धारा 172(1) के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमत किया जाना आदेशित किया जाता है ।

अ) आवेदक/समिति को विकास कार्य तीन वर्ष की समयावधि में पूर्ण कराना होगा । पर्यावरण के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया जावेगा।

ब) उपरोक्त भूमि 24-70 एकड़ पर पुनः-निर्धारण भू-राजस्व व्यवसायिक क्षेत्र 0-25 एकड़ पर 414/- रुपये एवं 24-45 एकड़ भूमि पर रुपये 26,626/- वर्ष 1988-89 से कायम किया जाकर उसका कृषि भू-राजस्व रुपये 52-65 पैसे समाप्त किया जाता है ।

स. ग्राम हिनोतिया आलम नगर निगम सीमा से बाहर होने से प्रव्याजि से मुक्त किया जाता है ।

4:- यह आदेश आज दिनांक 30 जून, 1989 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से प्रसारित किया गया ।

सत्यप्रतिलिपि
(27/7/87)

हस्ता/-
अनुविभागीय अधिकारी,
तहसील हुजूर, भोपाल.

21/2/84

24/2/84

21/2/84

21/2/84

21/2/84

678

41/-

Ajasid

Ajasid

21/2/84

THE COURT ... BHOPAL

(29) (10)

सत्य प्रतिलिपि प्रतिवेदन दिनांक 19-7-85, न्यायालय अधीक्षक भू-अभिलेख परिवर्तित भूमि, भोपाल, प्र0 क्र0 87/अ2/83-84, आदेश दिनांक 30-7-85, न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर भोपाल, प्र0क्र0 176/अ2/84-85-

आवेदक राजहर्ष गृह निर्माण सह0समिति (मर्या0) भोपाल विरूद्ध शासन

न्यायालय अधीक्षक भू - अभिलेख (परिवर्तित भूमि) भोपाल

शासन - बनाम - राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, भोपाल .... आवेदक

प्रतिवेदन

(दिनांक 19-7-1985)

राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित भोपाल द्वारा ग्राम अकबरपुर एवं नया पुरा की निम्नांकित भूमि के व्यपवर्तन हेतु कालोनी निर्माण हेतु धारा 172 (1) भू रा सं0 1959 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया।

ग्राम	खसरा नंबर	रकबा	भू राजस्व
नयापुरा प0 ह0नं038, तह0 हुजूर	25, 26/1/2, 27	8.33एकड़	34.20
	29/1	1.70एकड़	
	30/1	2.00एकड़	
	31	1.67एकड़	
		13.70एकड़	
अकबरपुर प0ह0नं039 तह0हुजूर	56, 68, 64/1, 64/2, 65, 100/66 2/1/1		3एकड़ 27.45पैसे
	56, 68, 64/1, 64/2, 65, 100/66 2/2/1		3एकड़
	56, 68, 64/1, 64/2, 65, 100/66 2/3/1		3एकड़
	56, 68, 64/1, 64/2, 65, 100/66 2/4		2.03एकड़
94/66			0.97एकड़
			12.0एकड़
		कुल योग	25.70एकड़

----2

A/B

आवेदक समिति के नाम पर उपरोक्त भूमि पटवारी अभिलेख मे भूमि स्वत्व मे अंकित है, नक्ल खसरा 1983-84 संलग्न है।

2/ प्रस्तावित व्यपवर्तन भूमि के संबंध मे इस संहिता की धारा 172के निर्मित नियम के अनुसार अभिमत एवं ले-आउट नक्शा की स्वीकृति हेतु इस न्यायालय के पत्र क्रमांक 315-316-317/ अ0भू0अ0/84 दिनांक 16-7-84 एवं 278/अनुम/परि0/भू/8 दिनांक 12-11-84 के व्दारा नगर एवं ग्राम निवेश, विकास प्राधिकरण तथा नगर निगम भोपाल से चाही गई है।

संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश म0प्र0 प्रदेश भोपाल के पत्र क्र0429/विधि न0ग्रा0नि0/84 दिनांक 11-1-85 के अनुसार अनापत्ति प्राप्त हुआ जिसमें उल्लेख है कि प्रस्तावित व्यपवर्तन भूमि भोपाल निवेश क्षेत्र के बाहर है एवं भोपाल की स्वीकृत विकास योजना मे किसी भी उपयोग हेतु भी आरक्षित नही है, अतः भोपाल नगर निगम क्षेत्र के बाहर है। इसलिये स्थानीय संस्था (ग्राम पंचायत) बैरागढ चीचली के सरपंच के पत्र दि0 18-2-85 के अनुसार ले- आउट स्वीकृत एवं अभिमत प्रदान किया गया जो ग्रामीण अंचल के लिये उचित है व्यपवर्तन हेतु योग्य है।

इसी तरह से विकास प्राधिकरण भोपाल के पत्र क्रमांक 296/विकास/राजस्व/84 दिनांक 18-10-84 के अनुसार इस व्यपवर्तन हेतु आपत्ति नही है, परन्तु नगर निगम की ओर से कई पत्र भेजे जाने के उपरान्त कोई उत्तर प्राप्त हुआ। नगर निगम के पत्र क्र0678/नि0वि0शा/85 दिनांक 18-3-85 के अनुसार ग्राम नयापुरा एवं अकबरपुरा नगर निगम क्षेत्र के बाहर है निगम भोपाल को कोई योजना नही है। ग्राम पंचायत स्थानीय संस्था का अभिमत प्रस्तावित व्यपवर्तन भूमि के लिये ग्रामीण अंचल हेतु पर्याप्त है।

सक्षम प्राधिकारी अर्बन सीलिंग भोपाल के प्रकरण क्रमांक 469/84, 470/84, 471/84 धारा 6 मे पारित आदेश दिनांक 23-2-85 एवं 468/84 आदेश दिनांक 25-2-85 के अनुसार प्रस्तावित व्यपवर्तन भूमिके संबंध में यह मत व्यक्त कियागया संबंधित भूमि भोपाल विकास योजना के बाहर है और धारा 2(क्यू)के तहत रिक्त भूमि की परिभाषा मे नही आती है, तात्पर्य यह है कि अर्बन सीलिंग अधिनियम 1976 के प्रावधानों का प्रभाव नही पड़ता।

उपरोक्त वर्णित स्थिति के अनुसार म0प्र0 विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम 1982 की धारा 24 के अनुसार परिपालन कियागया है।

3/ उपरोक्त समिति ने कालोनी लायसेंस के लिये कलेक्टर महोदय की ओर निर्धारित शुल्क जमा कर आवेदन पत्र दिनांक 8-5-84 को प्रस्तुत किया है इस आशय की जानकारी प्रकरण मे संलग्न है कलेक्टर महोदय के क्र09/रीडर/85 दि04-6-85 के अनुसार कालोनी-लायसेंस प्राप्त है।

4/ राजस्व निरीक्षक (परि0भूमि) भोपाल का प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र मे प्राप्त है जिसके अनुसार समिति को भूमि बताई गई है।

5/ आवेदक समिति की ओर से ब्रजनन्दन वाजपेयी अध्यक्ष का कथन लिया। उपरोक्त वर्णित समिति को भूमि का व्यपवर्तन कराना कथन मे स्वीकार कियागया --3

(30) (11) 3

OFFICE OF THE COLLECTOR, DISTT. BHOPAL

विनिर्दिष्ट व्यपवर्तन को अनुमति एवं पुनः निर्धारण भू राजस्व कायम करने के लिये प्रस्तावित है।

आवेदक समिति ने विकास कार्य को राशि हेतु जमानतदार कुल राशि के 1/5 भाग को प्रतिभूति प्रस्तुत किया। प्यारेलाल आत्मज छेदेराम निवासी छावनी तहसील हुजूर जमानतदार ने अपनी अचल संपत्ति (काश्तकारी भूमि) ग्राम दामखेड़ा पटवारी हल्का नंबर 37 तहसील हुजूर में स्थित खसरा नं0 9/3 एवं 16/1/1 कुल रकबा 31.66एकड़ में से प्रतिभूति दिया, खसरा नक्ल सन् 1983-84 एवं 84-85 प्रस्तुत है। प्यारेलाल जमानतदार ने अपनी कथित अचल संपत्ति का जमानतनामा दिनांक 19-7-85 लिखा है उल्लेख है कि प्यारेलाल दामखेड़ा को भूमि का एक मात्र व्यक्ति है इस भूमि पर कोई रहन बंधक वाद नहीं है। और वर्तमान के बाजार भाव के अनुसार पन्द्रह लाख((1500000रुपये) की कीमत होती है। आवेदक समिति की भूमि की विकास कार्य की कुल लागत 15,19,250=00 (पन्द्रह लाख उन्नीस हजार दो सौ पचास रुपये) में से 1/5 भाग3,03,850/- (तीन लाख तीन हजार आठ सौ पचास रुपये) की प्रति भूमि अपने उपरोक्त अचल संपत्ति में से देना स्वीकार कियागया है, धारा172 भू राजस्व संहिता के अन्तर्गत निर्मित नियमों के अनुसार जमानत दिया है जमानत नामा स्वीकार करने योग्य है। इसके अतिरिक्त आवेदक समिति के विकास कार्य की लागत हेतु अधिक नगद प्रतिभूति के रूप में 21,000/- रुपये (इक्कीस हजार रुपये)स्टेट बैंक, टी टी नगर भोपाल चालान क्र0 38/42 दिनांक 17-7-85 के जरिये जमा किया है।

7/ अतः समस्त प्रारंभिक कार्यवाही संपूर्ण कर ली गई है इसलिये निम्नांकित शर्तों के आधार पर धारा172(1) के तहत अनुमति प्रदान किया जाना उचित होगा।

(क) प्रस्तावित व्यपवर्तन भूमि के ले आउट प्लान के अनुसार विकास कार्य निर्धारित समयावधि में आदेश दिनांक से तीन माह के भीतर पूरा करना होगा।

(ख) ले आउट प्लान में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

(ग) सार्वजनिक निस्तार सुविधा एवं स्वास्थ्य में बाधा या अड़चन पैदा करने पर अनुमति रद्द कर दी जावेगी।

(घ) प्रकाश, बिजली, जल प्रदाय, समिति से व्यय की जावेगी।

(ङ) भूखंडों की बिक्री या आवंटन तथा विकास कार्य कालोनी लायसेन्स के शर्तों एवं म0प्र0 विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम की धारा24 के अन्तर्गत बनाये गये नियम के अनुसार होगी।

(8) ग्राम नया पुरा एवं अकबरपुर भोपाल नगर के क्षेत्र के बाहर स्थित है, रिपोर्ट के अनुसार दोनों ग्रामों की जनसंख्या

===

पृथक पृथक 425 और 417 है । अतः धारा 59(5), भू रा० संहिता के प्रावधान के अनुसार प्रव्याजी लागू नहीं होता ।

(9) म०प्र० भू - परिमाप एवं बन्दोबस्त विभाग भोपाल के अधिसूचना क्रमांक 15/95/8/79 दिनांक 31=12=79 के अनुसार 1-15 पैसे प्रति 100 वर्गफुट की दर से धारा 59 (2) भू - राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत ग्राम नयापुरा एवं अकबरपुर को 25.70एकड (1119492वर्गफुट) का पुनर्निर्धारित ग्राम नया पुरा का 6840.70पैसे एवं ग्राम अकबरपुर का 6033.30पैसे कुल भू राजस्व वार्षिक रुपये 12,874-20पैसे वर्ष 1984-85 से देय होगा । कृषि भू राजस्व खारिज किया जावेगा ।

प्रतिवेदन समर्पित ।

सही /-
अधीक्षक भू अभिलेख
पश्चि. भूमि , [illegible] भोपाल

(गोल मुद्रा)

देखा ।
सही /-
30=7=85
अनुविभागीय अधिकारी
तहसील हुजूर , भोपाल

निरन्तर 5-----

(12)

आदेश प्रतिलिपि प्रतिवेदन दिनांक ...85, न्यायालय आयुक्त भू अभिलेख (परिवर्तित भूमि) भोपाल, प्रकरण क्र. 61/अ2/ 83-84, एवं आदेश दिनांक 10-7-85 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी नजूल/हुजूर, भोपाल, प्र.क्र. 176/अ2/84-85.

आवेदक - रामदई गृह निर्माण सहकारी समिति(मर्यादित) भोपाल, द्वारा अध्यक्ष ...

-0-0-

न्यायालय: अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर, भोपाल

प्रकरण क्रमांक 176/अ2/84-85

रामदई गृह निर्माण सहकारी समिति.
(मर्यादित) भोपाल
द्वारा अध्यक्ष श्री कृष्णस्वरूप वाजपेयी .. .. आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन .. .. .. अनावेदक

आदेश

(म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 172 के अन्तर्गत)
दिनांक 30-7-85 को पारित)

-0-0-0-

आवेदक रामदई गृह निर्माण सहकारी समिति(मर्यादित) भोपाल की ओर से उसके अध्यक्ष श्री के.एस. वाजपेयी द्वारा '' म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959'' (जिसे आगे संहिता कहा गया है) की धारा 172 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र ग्राम मलापुरा प.ह.नं. 38 तहसील हुजूर भोपाल स्थित कृषि भूमि ख.नं. 25, 26/1/2, 27 रकबा 4.33 एकड़, ख.नं. 29/1 रकबा 1.70 एकड़, ख.नं. 30/1 रकबा 2.00 एकड़ ख.नं. 31 रकबा 1.67 एकड़ 4 किता रकबा 13.70 एकड़ एवं ग्राम अकबरपुर प.ह.नं. 39 तहसील हुजूर भोपाल स्थित कृषि भूमि ख.नं. 56,68,64/1,64/2,65,100/66 (2/1/2) रकबा 3 एकड़, ख.नं. 56,68,64/1,64/2,65,100/66 (2/2/1) रकबा 3 एकड़, ख.नं. 56,68,64/1,64/2,65,100/66 (2/3/1) रकबा 3 एकड़ ख.नं. 56,68,64/1,64/2,65,100/66 (2/4) रकबा 2.03 एकड़ कुल किता 4 क्षेत्रफल 12.00 एकड़, इस प्रकार दोनों ग्रामों की कुल 8 किता कृषि भूमि कुल क्षेत्रफल 25.70 एकड़ का भूमि व्यपवर्तन आवासीय उपयोग के लिये किये जाने हेतु, अधीक्षक भू अभिलेख (परिवर्तित भूमि) भोपाल जिसे आगे अधीक्षक कहा गया है के समक्ष प्रस्तुत किया। अधीक्षक ने प्रकरण मे आवश्यक जांच कर प्रतिवेदन अनुशंसा सहित इस न्यायालय को प्रेषित किया।

2/ प्रकरण मे उपलब्ध अभिलेखों एवं अधीक्षक के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि

... योजना द्वारा अनुमोदित किया गया है। नगर निगम भोपाल से आवेदन पत्र का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। आवेदक ने यह भी बताया है कि प्रश्नाधीन भूमि संबंध में सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा भोपाल से भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। आवेदक संस्था ने कालोनी स्थापना हेतु आवश्यक अनुज्ञप्ति कलेक्टर, भोपाल के आदेश क्रमांक 9/डी8र/85 दिनांक 4-6-85 द्वारा प्राप्त कर ली है। आवेदक संस्था ने विकास कार्य की कुल लागत 15,19,250-00 रुपये का 1/5 भाग अर्थात् 3,03,850 रुपये (तीन लाख, तीन हजार आठ सौ पचास रुपये) की आवश्यक प्रतिभूति रुपये 21,000/-(इक्कीस हजार) चालान माध्यम द्वारा एवं शेष [illegible] माध्यम [illegible] लि0 भोपाल को जमानत के रूप में प्रस्तुत की है जो स्वीकार की जाती है।

3/ आवेदक के प्रतिवेदन दि0 19-7-85 से सहमत होते हुये प्रश्नाधीन भूमि का भूमि व्यपवर्तन संहिता की धारा 172(1) के तहत कृषि भूमि के स्थान पर आवासीय उपयोग हेतु किया जाना निम्नलिखित शर्तों के अधीन [illegible] किया जाता है :-

क. व्यपवर्तित भूमि के अनुमोदित ले-आउट प्लान के अनुसार विकास कार्य, निर्धारित समयावधि में आदेश दिनांक से तीन साल के भीतर पूरा करना होगा।

ख. ले-आउट प्लान में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

ग. सार्वजनिक निस्तार सुविधायें एवं स्वास्थ्य में बाधा या अड़चन पैदा करने पर अनुमति रद्द कर दी जावेगी।

घ. [illegible] प्रकाश, बिजली, जलप्रदाय समिति के व्यय से होंगे।

ड. भूखंडों के विक्रय का आवंटन तथा विकास कार्य कालोनी नगरपालिका के [illegible] शर्तों एवं म0प्र0 विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम की धारा 24 के अन्तर्गत बनाये गये नियम के अनुसार होगा।

4. चूंकि प्रश्नाधीन ग्राम नयापुरा एवं [illegible] नगर निगम भोपाल क्षेत्र [illegible] है और प्रतिवेदन अनुसार उनके खसरा क्रमांक 425 एवं 417/1 अतः संहिता की धारा 59(5) के प्रावधानानुसार प्रब्याजी लागू नहीं होगी।

5. संहिता की धारा 59(2) के तहत प्रश्नाधीन भूमि पर 12,874-20 रुपये प्रतिवर्ष की दर से परिवर्तित भू-राजस्व पुनर्निर्धारित किया जाता है जो कि वर्ष 1984-85 से देय होगा और तदनुसार वर्ष 1984-85 से प्रश्नाधीन भूमि का कृषि भू-राजस्व समाप्त किया जाना आदेशित किया जाता है।

6. यह आदेश आज दिनांक 30-7-85 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से इस न्यायालय से पारित किया गया।

सही/- 30-7-85
(डी0के0तिवारी)
अनुविभागीय अधिकारी
तहसील हुजूर, भोपाल।

सत्य प्रतिलिपि

हस्ता प्रतिलिपिक
[illegible]

(97)

(5)

(28)

सत्यप्रतिलिपि आदेश दिनांक 26/4/88
न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर भोपाल
प्रकरण क्रमांक 266/अ-2/87-88
राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या० भोपाल

- -

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर भोपाल म०प्र०

राजस्व प्रकरण क्रमांक 266/अ-2/88

राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित
भोपाल द्वारा - अध्यक्ष- बी० एस० बाजपेयी
निवासी भोपाल म०प्र० - - - - - - - - - - आवेदक

विरुद्ध

म०प्र० शासन - - - - - - - - - - - - - - - - - अनावेदक

आदेश

(मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 172(1) के अन्तर्गत)
(आज दिनांक 26/4/88 को पारित)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक/समिति ने इस न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम नयापुरा प०ह०नं० 38, तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित कृषि भूमि खसरा क्रमांक 61/1 रकबा 5-50 एकड़ का व्यपवर्तन आवासीय प्रयोजन हेतु किया जावे। प्रकरण जांच प्रतिवेदन हेतु अधीक्षक भू अभिलेख परिवर्तित भूमि जिला भोपाल को भेजा गया। अधीक्षक भू अभिलेख परिवर्तित भूमि जिला भोपाल ने प्रकरण म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 172(1) के अन्तर्गत पंजीबद्ध कर जांच प्रतिवेदन सहित इस न्यायालय को प्रस्तुत किया।

2/. प्रकरण में उपलब्ध खसरा प्रति वर्ष 1987-88 से स्पष्ट है कि आवेदक/समिति राजस्व अभिलेखों में प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी के रूप में अंकित है। आवेदक/समिति का पंजीयन क्रमांक डी०आर०बी०318 दिनांक 8/2/83 है। कलेक्टर भोपाल से कलोनाइजर्स लायसेंस क्रमांक 9/रोहर/85 दिनांक 4/6/85 द्वारा प्राप्त कर लिया है। आवेदक/संस्था ने नगर तथा ग्राम निवेश के पत्र क्रमांक 3054 दिनांक 26/8/87 की फोटोकापी प्रस्तुत की है, जिसमें उक्त भूमि विकास योजना से बाहर होने से (कृषि) भिन्न उपयोग के प्रस्ताव न होने का उल्लेख किया गया है। आवेदक/संस्था ने ग्राम पंचायत बैरागढ़ चीचली से पत्र क्रमांक 12/4/88 प्राप्त किया है जिसमें प्रश्नाधीन भूमि के आवासीय प्रयोजन हेतु सहमति देते हुये लेआउट प्लान स्वीकृत किया है जो इस न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया। आवेदक/संस्था द्वारा विकास व्यय हेतु रुपये 3,66,000/- का प्रस्तुत किया है, जिसका कि 1/5 भाग रुपये 73,200/- (तिहत्तर हजार दो सौ रुपये मात्र) होता है। आवेदक/संस्था ने रुपये 18,300/- अठारह हजार तीन सौ रुपये मात्र) का फिक्स्ड डिपाजिट रसीद क्रमांक बी-357055 दिनांक 25/4/1988 द्वारा सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया टी०टी०नगर शाखा भोपाल में जमा कराते हुये रसीद प्रस्तुत की है, जो कि विकास व्यय की राशि का 5 प्रतिशत है। शेष राशि के संबंध में आवेदक/संस्था ने जमानतदार प्रथमतः श्री बाजपेयी आ० श्री ... बाजपेयी को ग्राम नयापुरा स्थित कृषि भूमि एवं (2) राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या० भोपाल की ग्राम नयापुरा स्थित भूमि को जमानतें प्रस्तुत की है, जो स्वीकार की जाती है। अधीक्षक भू अभिलेख परिवर्तित भूमि जिला भोपाल ने प्रस्तावित व्यपवर्तन करने की अनुशंसा की है।

25/4/88
(सत्य प्रतिलिपि)

---2

आदेश

3/ उपर्युक्त विवेचना के आधार पर आवेदक/संस्था के पक्ष में वांछित व्यपवर्तन संहिता की धारा 172(1) के अन्तर्गत निम्नांकित शर्तों के अधीन अनुमत किया जाना आदेशित किया जाता है:-

(अ) विकास कार्य अनुमोदित ले-आउट के अनुसार ~~वर्ष~~ तीन में पूर्ण करना होगा।

(ब) उपरोक्त भूमि पुर्न निर्धारण भू-राजस्व 7787/- रुपये वर्ष 87-88 से प्रस्तावित किया जाता है।

(स) प्रश्नाधीन क्षेत्र नगर निगम सीमा से बाहर एवं ग्राम सेवा नगर के अन्तर्गत न होने से प्रभाव से मुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

(द) उक्त भूमि का कृषि भू-राजस्व तदनुसार कम किया जाना आदेशित किया जाता है।

4/ यह आदेश आज, दिनांक 26/4/88 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से प्रसारित किया गया।

हस्ता/-
(आर० एस० शर्मा)
अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर

सत्य प्रतिलिपि
27/4/88
मुख्य प्रतिलिपिकार
[illegible]

1. प्रार्थना पत्र प्राप्ति दिनांक 12/4/88
2. आवेदक को दी गई [illegible] की तिथि 27/4/88
3. [illegible] 27/4/88
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible]
8. [illegible]
9. [illegible] 27/4/88
10. [illegible] 27/4/88
11. [illegible]
12. [illegible]

[illegible] मिलानकर्ता मुख्य प्रतिलिपिकार
27/4/88

सत्यप्रतिलिपि आदेश दिनांक 23/7/88
न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर भोपाल
प्रकरण क्रमांक 331/अ-2/87-88
राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित विरुद्ध म0प्र0 शासन

- -

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर भोपाल (म0प्र0)

राजस्व प्रकरण क्रमांक 331/अ-2/87-88

राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित
भोपाल द्वारा - अध्यक्ष श्री ....
निवासी टी0टी0नगर भोपाल - - - - - - - - - - - - - आवेदक

विरुद्ध

म0प्र0 शासन - - - - - - - - - - - - - - - - - - अनावेदक

आदेश

(मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172(1) के अन्तर्गत)

: आज दिनांक 23/7/88 को पारित :

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक/समिति ने इस न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम गेहूंखेड़ा प0ह0नं0 38, तहसील हुजूर भोपाल स्थित कृषि भूमि खसरा क्रमांक 43/2/1, 28/1 28/2, 38, 39/1 कुल रकबा 15-89 एकड़ का व्यपवर्तन आवासीय प्रयोजन हेतु किया जावे। प्रकरण जांच प्रतिवेदन हेतु अधीक्षक भू-अभिलेख परिवर्तित भूमि जिला भोपाल को भेजा गया। अधीक्षक भू-अभिलेख परिवर्तित भूमि जिला भोपाल ने प्रकरण म0प्र0भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172(1) के अन्तर्गत पंजीबद्ध कर जांच प्रतिवेदन सहित इस न्यायालय को प्रस्तुत किया।

2/ प्रकरण में उपलब्ध खसरा प्रति वर्ष 1987-88 से स्पष्ट है कि आवेदक/समिति अभिलेखों में प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी के रूप में अंकित है। आवेदक/संस्था का पंजीयन क्रमांक डी0आर0बी0318 दिनांक 6/2/83 है। आवेदक/संस्था ने कालोनी स्थापना हेतु कालोनाइजर्स लायसेंस क्रमांक 9/रोडर/85 दिनांक 4/6/85 जिलाध्यक्ष भोपाल से प्राप्त किया है, जिसकी फोटो प्रति प्रकरण में संलग्न है। संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल के पत्र क्रमांक 1222/न0ग्रा0नि0/38 दिनांक 2/7/88 द्वारा लेख किया गया है कि समिति द्वारा आवासीय विकास किये जाने पर इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम पंचायत बैरागढ़ चीचली ने अपने पत्र दिनांक 15/6/88 द्वारा उक्त भूमि का अभिन्यास स्वीकृत करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया है, जो इस न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया जाता है। आवेदक/संस्था ने विकास कार्य हेतु रुपये 5,30,000/- (पांच लाख तीस हजार रुपये मात्र) का स्टीमेट प्रस्तुत किया है। जिसका कि 1/5 भाग रुपये 1,06,000/- (एक लाख छः हजार रुपये मात्र) होता है। आवेदक/संस्था ने विकास व्यय की पूर्ति हेतु

..2

रुपये 26,500/- (छब्बीस हजार पांच सौ रुपये मात्र) का डिमांड डिपाजिट रसीद क्रमांक 000765 दिनांक 19/7/88 द्वारा सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया टी०टी० नगर भोपाल में जमा कराते हुये रसीद प्रस्तुत की है, जो प्रकरण में संलग्न है, जो विकास व्यय की राशि का 5 प्रतिशत होता है। शेष 15 प्रतिशत राशि के संबंध आवेदक/समिति ने जमानतदार (राजवैद गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित भोपाल एवं ब्रह्मस्वरूप बाजपेयी आ० ज्ञानस्वरूप बाजपेयी निवासी टी०टी० नगर भोपाल की जमानतें प्रस्तुत की है, जो इस न्यायालय द्वारा स्वीकृत की जाती है। अधीक्षक भू-अभिलेख परिवर्तित भूमि जिला भोपाल ने प्रस्तावित व्यपवर्तन करने की अनुशंसा की है।

3/ उपर्युक्त विवेचना के आधार पर आवेदक/संस्था के पक्ष में आवेदन व्यपवर्तन संहिता की धारा 172(1) के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुज्ञा किया जाना आदेशित किया जाता है:-

(अ) प्रश्नाधीन क्षेत्र नगर निगम सीमा से बाहर होने से पुनर्निर्धारण भू-राजस्व रुपये 22,496/- (बाईस हजार चार सौ छियानवे रुपये मात्र) वर्ष 87-88 से कायम किया जाकर तदनुसार उसका कृषि भू-राजस्व कम किया जाना आदेशित किया जाता है।

(ब) प्रश्नाधीन ग्राम नगर निगम सीमा से बाहर होने से प्रब्याजि से मुक्त किया जाता है।

(स) आवेदक/संस्था को कालोनी का विकास कार्य तीन वर्ष में पूरा कराना होगा। सार्वजनिक निस्तार एवं पर्यावरण के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया जावेगा।

4/ यह आदेश आज दिनांक 23/7/88 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से प्रसारित किया गया।

हस्ता/-
अनुविभागीय अधिकारी
तहसील हुजुर, भोपाल

23/7/88
28/7/88
27/7/88

27/7/88
प्रतिलिपिकार

27/7/88
27/7/88

प्रतिलिपिकार मिलानकर्ता

प्रतिलिपि आदेश दिनांक 22/5/87
राजस्व प्रकरण क्र0 79/अ-2/86-87
न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, त0 हुजूर, भोपाल
राजहर्ष गृह निर्माण स0समिति0 भोपाल वि0 म0प्र0 शासन

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 79/अ-2/86-87

राजहर्ष गृह निर्माण स0समिति (मर्या0)
भोपाल द्वारा अध्यक्ष श्री [illegible]
वाजपेयी नि0 भोपाल ---------------------------- आवेदक

विरुद्ध

म0प्र0 शासन ---------------------------------- अनावेदक

आदेश

(म0प्र0 भू राजस्व संहिता की धारा 172(1) के अन्तर्गत)

आज दिनांक 22/5/87 को पारित

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक समिति ने इस न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय प्रस्तुत किया कि ग्राम नवापुरा पटवारी हल्का नम्बर 38 तहसील हुजूर भोपाल स्थित भूमि खसरा क्र 61/2/2/2/1 61/2/2/2/3/1, 30/2, 68/2, 68/2, 69, 70, 55/1 एवं 55/2 6 किता कुल रकबा 17.24 एकड़ का व्यपवर्तन आवासीय प्रयोजन हेतु किया जावे। प्रकरण जांच प्रतिवेदन हेतु तहसीलदार एवं [illegible] भूमि भोपाल को भेजा गया। उन्होंने प्रकरण म0प्र0 भू रा0 संहिता 1959 की धारा 172(1) के अन्तर्गत पंजीबद्ध कर जांच प्रतिवेदन सहित इस न्यायालय को प्रस्तुत किया गया।

2/ प्रकरण में उपलब्ध खसरा प्रतिवर्ष 86-87 से स्पष्ट है कि आवेदक समिति राजस्व अभिलेख में प्रश्नाधीन भूमि के भूमि स्वामी के रूप में अंकित है। आवेदक समिति का पंजीक्रमांक डी0आर0एस0डी0/318 दिनांक 8/2/83 है आवेदक समिति ने म0प्र0 विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण अधिनियम 1982 की धारा 24 के अन्तर्गत कालोनी स्थापना हेतु सक्षम कलेक्टर भोपाल क्रमांक 9/[illegible]/85 दिनांक 4/6/85 प्राप्त कर लिया है संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल के पत्र क्रमांक 429/विधि/नगर/ग्राम नि0/84 दिनांक 11/1/85 के अनुसार उक्त ग्राम भोपाल विकास योजना क्षेत्र से बाहर है इस प्रकार भोपाल विकास प्राधिकरण की भी कोई योजना इस ग्राम में नहीं है। नगर निगम भोपाल के पत्र क्रमांक 628/नि-विभा/85 दिनांक 18/4/85 के अनुसार उक्त ग्राम नगर निगम सीमा के अन्दर नहीं है साथ [illegible] भोपाल के पत्र [illegible] /3/87 के अनुसार उक्त [illegible] का आवासीय उपयोग हेतु [illegible] सुविधा की [illegible]

(96)

/17

(2)

निर्देश I/5 बाग 3,49,400 रुपया (तीन लाख उनचास हजार चार सौ) संस्था द्वारा रु० 34,920 रु० का फिक्स डिपाजिट सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया टी०टी०नगर शाखा भोपाल में जमा करके एफ डी आर क्रमांक 001792 दिनांक 22/5/87 प्रस्तुत की गई है जो प्रकरण में संलग्न की गई है इसके अलावा संस्था द्वारा जमानतदार राजेश्वर गृह निर्माण सह०समिति भोपाल की ग्राम रसूलपुर तहसील में स्थित भूमि रकबा 3.94 एकड़ एवं (2) संचय गृह निर्माण सह० समिति भोपाल की ग्राम [illegible]पुरा की भूमि 10.00 एकड़ की जमानत विकास व्यय की पूर्ति की गई है जो स्वीकृत की जाती है । अधीक्षक भू अभिलेख (टी०एण्ड सी०) भोपाल ने प्रस्तावित व्यपवर्तन करने की अनुशंसा की है ।

3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक समिति के पक्ष में आवेदित व्यपवर्तन संहिता की धारा 172(1) के अन्तर्गत समिति के पक्ष में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुज्ञा दी जाना आदेशित किया जाता है :-

(अ) आवेदक समिति को विकास व्यय की शेष राशि 52,420 रु० (बावन हजार चार सौ बीस रु० मात्र) आदेश पारित होने के दिनांक से तीन माह के भीतर अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा । तथा विकास व्यय की राशि 5% प्रतिशत [illegible] ।

(ब) आवेदक समिति द्वारा अनुमोदित लेआउट में कोई परिवर्तन नहीं करेगा । सार्वजनिक सुविधा, आवागमन में रुकावट बाधा एवं अड़चन पैदा करने पर अनुमति निरस्त कर दी जावेगी । समिति को विकास कार्य [illegible] तीन वर्ष में पूर्ण कराना होगा ।

(स) ग्राम [illegible]पुरा की जनसंख्या दो हजार से कम होने के कारण भू राजस्व संहिता की धारा 59(5) के अन्तर्गत प्रब्याजि से मुक्त की जाती है ।

(द) आवेदक समिति के विरुद्ध प्रश्नाधीन व्यपवर्तन के संदर्भ में पुनः निर्धारित भू राजस्व 24,407/- (चौबीस हजार चार सौ सात रुपये) वर्ष 86-87 से कायम किया जाकर तदनुसार उसका भूमि भू राजस्व संशोधन किया जाता है ।

4/ यह आदेश आज दिनांक 22/5/87 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से प्रसारित किया गया ।

सही/-
(आर०एस० शर्मा)
अनुविभागीय अधिकारी,
तहसील हुजूर, भोपाल

[illegible]

1 आवेदन पत्र ... [illegible] ... 23-5-87

2 आवेदक को ... [illegible] ... 25-5-87

3 [illegible] ... 23-5-87

4 [illegible]

[illegible]

5 आवेदन-पत्र ... [illegible]

[illegible]

6 आवेदन पत्र पूर्ण ... [illegible]

7 [illegible]

[illegible] ....

8 [illegible] ... 23-5-87

9 प्रतिलिपि ... [illegible] ... 23-5-87

10 प्रतिलिपि ... [illegible] ... 23-5-87

11 आवश्यक ... [illegible] ... आवश्यक

12 कोई ... [illegible] ... चार [illegible]

22/07/87

प्रतिलिपिकार मिलानकर्ता मुख्य प्रतिलिपिकार

(92) 45 (23)

सत्यप्रतिलिपि आदेश दिनांक 20·4·89
न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर भोपाल
प्रकरण क्रमांक 51/अ-2/88-89
राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी समिति विरुद्ध शासन

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर भोपाल म·प्र·

राजस्व प्रकरण क्र0 51/अ-2/88-89
राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित,
भोपाल [म0प्र0] द्वारा अध्यक्ष बी0 एल0 बाजपेयी,
निवासी भोपाल [म0प्र0]- - - - - - - आवेदक

विरुद्ध

म0 प्र0 शासन - - - - - - - - - - - - - अनावेदक

::: आ दे श :::

[मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 172 [1] के अन्तर्गत

::: आज दिनांक 20/4/89 :::

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक/समिति ने इस न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम दामखेड़ा प0 ह0 नं0 39, तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि ख0 क्र0 9/3/1 रकबा 4-16 एकड़ का व्यपवर्तन आवासीय प्रयोजन हेतु किया जावें। प्रकरण जांच प्रतिवेदन हेतु अधीक्षक भू-अभिलेख परिवर्तित भूमि जिला भोपाल को भेजा गया। अधीक्षक भू-अभिलेख परिवर्तित भूमि जिला भोपाल ने प्रकरण म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 [1] के अन्तर्गत पंजीबद्ध कर जांच प्रतिवेदन सहित इस न्यायालय को प्रस्तुत किया।

2/- प्रकरण में उपलब्ध खसरा प्रति वर्ष 1988-89 से स्पष्ट है कि आवेदक/समिति राजस्व अभिलेखों में प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी के रूप में अंकित है। आवेदक/समिति का पंजीयन क्रमांक डी0 आर0 बी0 318 दिनांक 8/2/83 है। आवेदक/संस्था ने कलेक्टर भोपाल से कालोनी स्थापना हेतु लायसेंस क्रमांक 9/रीडर/85 दिनांक 4/6/85 प्राप्त किया है, जिसकी

(93)

116

जिसकी छाया प्रति प्रकरण में संलग्न है । नगर एवं ग्रामीण निवेश संचालनालय भोपाल के पत्र क्रमांक 4638/41203/2587/न0 ग्रा0 नि0 दिनांक 20/4/82 में लेख किया है कि उक्त भूमि शासन द्वारा स्वीकृत भोपाल विकास योजना क्षेत्र एवं निवेश क्षेत्र से बाहर आती है । संरपच ग्राम पंचायत ढाराना प्रथावरी ने अपने पत्र दिनांक 20/3/89 द्वारा अभिन्यास स्वीकृत करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, जो प्रकरण में संलग्न है । संस्था ने विकास व्यय हेतु रुपये 2,54,478/- (दो लाख चौवन हजार चार सौ अट्ठत्तर रुपये मात्र) का प्रस्तुत किया है, जिसका कि 1/5 भाग रुपये 50,895/- (पचास हजार आठ सौ पचानवे रुपये मात्र) होता है । आवेदक संस्था ने इलाहाबाद बैंक माता मंदिर भोपाल में फिक्स डिपाजिट रसीद क्रमांक 757837/40/82 दिनांक 29/3/89 द्वारा रुपये 12,750/- (बारह हजार सात सौ पचास रुपये मात्र) जमा कराते हुए रसीद प्रस्तुत की है, उक्त राशि विकास व्यय का 5 प्रतिशत है । रसीद प्रकरण में संलग्न है । शेष राशि के संबंध में आवेदक/संस्था ने जमानतदार (1) भगवन्ता आ0 लल्लूराम का ग्राम रसूलपुर स्थित 3-94 एकड़ एवं (2) कृष्णस्वरूप वाजपेयी आ0 रामस्वरूप की ग्राम बैरागढ़ प्रिकी स्थित 10-00 एकड़ की जमानतें प्रस्तुत की हैं, जो इस न्यायालय द्वारा स्वीकृत की जाती हैं ।

3/- उपर्युक्त विवेचना के आधार पर आवेदक/समिति के पक्ष में आवेदित व्यपवर्तन भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 172(1) के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जाता है ।

(अ) आवेदक/समिति की ग्राम दामखेड़ा स्थित भूमि ख0 नं0 0/3/1 रकबा 4-16 एकड़ पर निवासार्थ दर 3-25 पैसे प्रति 100 वर्गफुट के मान से 178596 वर्गफुट पर राशि 5804/- एवं व्यवसायिक दर 9-70 पैसे प्रति 100 वर्गफुट के मान से 2614/- वर्गफुट पर 254/- रुपये कुल 6058/- रुपये वर्ष 88-89 से पुनर्निर्धारित भू-राजस्व नियत जाकर उसका कृषि राजस्व रुपये 5-65 पैसे

// 3 //

समाप्त किया जाता है ।

(ब) ग्राम दामखेड़ा की आबादी 2000 से कम होने से प्रव्याप्ति से मुक्त किया जाता है ।

(स) ग्रामीण एवं नगर निवेश भोपाल से अभिन्यास स्वीकृत कराना होगा समिति पर्यावरण के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेगी ।

4/- यह आदेश आज दिनांक 20/4/89 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया ।

हस्ता/-
अनुविभागीय अधिकारी
तहसील, हुजूर, भोपाल

21/4/89

21/4/89
24/4/89
21/4/89

21/4/89
21/4/89
4/- 21/4/89

Applied Applied

(12)

सत्यप्रतिलिपि आदेश दिनांक १६-१२-८६ पु० क्र० २३।अ-२।८६-८७

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर जिला भोपाल(म०प्र०)
राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित भोपाल द्वारा श्री ब्रजस्वरूप वाजपेयी -- आवेदक --- विरुद्ध --- म० प्र० शासन ---- अनावेदक.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर, भोपाल

राजस्व प्रकरण क्र० २३।अ-२।८६-८७

राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी समिति
मर्या० भोपाल द्वारा - श्री ब्रजस्वरूप वाजपेयी
निवासी - भोपाल ------------ ------------ आवेदक

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन ------------ ------------ अनावेदक

::: आ_दे_श :::

(म० प्र० भू-राजस्व संहिता की धारा १७२(१) के अन्तर्गत)

(आज दिनांक १६-१२-८६ को पारित)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक समिति ने अतिरिक्त अधीक्षक, भू-अभिलेख (परिवर्तित भूमि) भोपाल के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया था कि ग्राम दामखेड़ा पटवारी हल्का नं० ३६ तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित कृषि भूमि खसरा क्र० १६।१।१ एवं ६।१।१ कुल रकबा २० एकड़ का व्यपवर्तन आवासीय प्रयोजन हेतु किया जाय। अधीक्षक भू-अभिलेख (परिवर्तित भूमि) भोपाल ने प्रकरण म० प्र० भू-राजस्व संहिता, १९५९ की धारा १७२(१) के अन्तर्गत पंजीबद्ध कर जांच प्रतिवेदन सहित इस न्यायालय को प्रेषित किया।

२. प्रकरण में उपलब्ध खसरा प्रति वर्ष १९८६-८७ से स्पष्ट है कि आवेदक समिति राजस्व अभिलेख में प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी के रूप में अंकित है। प्रश्नाधीन ग्राम नगर निगम, भोपाल से बाहर स्थित है। आवेदक समिति का पंजीयन क्र० डी० आर० बी० ३१८ दिनांक ८-२-१९८८ है। आवेदक समिति ने म० प्र० विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण अधिनियम, १९८२ की धारा २४ के अन्तर्गत कलेक्टर भोपाल से कालोनी स्थापना हेतु लायसेंस क्र० ६।रोकर।८५ दिनांक - ४-६-१९८५ प्राप्त कर लिया है। संचालक ग्राम एवं नगर निवेश भोपाल ने अपने पत्र क्र० ४३। [illegible] दिनांक १४-४-८५ द्वारा [illegible]

FOR COPYING FEES ONLY
FOR COPYING FEES ONLY

ह/II

113

स्वीकृत योजना में आरक्षित नहीं है। भोपाल विकास प्राधिकरण ने अपने पत्र क्र० आ/वि० प्र० ४०।८५ दिनांक ८-७-८५ द्वारा कोई योजना होना नहीं दर्शाया है। नगर निगम भोपाल ने अपने पत्र क्र० ६३।नि० वि० ४०।८५ दिनांक ७-१०-८६ द्वारा उक्त भूमि का भूमि परिवर्तन किए जाने में कोई आपत्ति नहीं होना दर्शाया है। ग्राम पंचायत बैरागढ़ चीचली ने अपने पत्र दिनांक ७-८-८६ द्वारा उक्त भूमि का आवास उपयोग हेतु अभिन्यास।ले-आऊट स्वीकृत करने हेतु अनुशंसा की है, जो इस न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया। प्रस्तावित कालोनी का विकास व्यय रु० २४,१५,२००।- (चौबीस लाख, पन्द्रह हजार दो सौ रुपये मात्र) प्रस्तावित किया है। इसका विकास व्यय का २० प्रतिशत रु० ४,८३,०४०।- (चार लाख तिरासी हजार चालीस रुपये) मात्र होता है जिसके विरुद्ध आवेदक समिति ने सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा टी० टी० नगर भोपाल में रु० २४,१६०।- (चौबीस हजार एक सौ साठ) मात्र का फिक्स डिपाजिट रसीद क्र० ३५९६.६८ दिनांक १६-१२-८६ द्वारा संहिता की धारा १७२ के अन्तर्गत बने नियमों के नियम ४(४) के अन्तर्गत किया है।शेष राशि के संबंध में आवेदक समिति ने जमानतदार (१) राजदेव गृह निर्माण सह० समिति मर्या० भोपाल का ग्राम रतनपुर स्थित भूमि ३-६४ एकड़ एवं (२) क्रमशः स्वरूप बाजपेयी का ग्राम महाबड़िया स्थित भूमि रकबा १९-४५ एकड़ की जमानत प्रस्तुत की है, जो स्वीकृत की जाती है। क्योंकि भू-अभिलेख (परि-वर्तित भूमि), भोपाल ने प्रश्नाधीन भूमि का व्यपवर्तन करने की अनुमति दिए जाने की अनुशंसा की है।

४. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर आवेदक समिति के पक्ष में, आवेदित व्यपवर्तन संहिता की धारा १७२(१) के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमति दिया जाना आदेशित किया जाता है :-

(अ) ले-आउट प्लान में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। सार्वजनिक निस्तार सुविधा, प्रकाश, बिजली, जलप्रदाय आदि समिति की जिम्मेदारी होगी।

(ब) व्यपवर्तित भूमि का विकास तीन वर्ष की समयावधि में किया जाना होगा।

(घ) आवेदक समिति के विरुद्ध प्रस्तावित व्यपवर्तन के संबंध में पुनर्निर्धारित प्रव्याजी रु० २८५१४-०० (अठ्ठाईस हजार पांच सौ चौदह रुपये) वर्ष १९८६-८७ से कायम किया जाकर तदनुसार कृषि भू-राजस्व, भू-राजस्व कम किया जाता है। ग्राम बामखेड़ा नगर निगम क्षेत्र से बाहर होने तथा वीरान ग्राम होने से उक्त संहिता की धारा ५९(१) के अन्तर्गत प्रव्याजी से मुक्त किया जाता है।

४. यह आदेश आज दिनांक १६-१२-८६ को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से खुले न्यायालय में प्रसारित किया गया।

CANCELLED

सही/-
अनुविभागीय अधिकारी,
तहसील हुजूर, भोपाल.

पृ० क्र० /प्रवा-२/८६ भोपाल, दिनांक १६-१२-८६

प्रतिलिपि:-

तहसीलदार, तहसील हुजूर, जिला भोपाल को ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सही/-
अनुविभागीय अधिकारी,
तहसील हुजूर, भोपाल.

(3)

सत्यप्रतिलिपि आदेश दिनांक 23/7/88
न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर भोपाल
प्रकरण क्रमांक 330/अ-2/87-88
राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित विरुद्ध म0प्र0शासन

- -

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर भोपाल (म0प्र0)
राजस्व प्रकरण क्रमांक 330/अ-2/87-88

राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित
भोपाल द्वारा- अध्यक्ष श्री बी0एस0 बाजपेयी
निवासी टी0टी0नगर भोपाल - - - - - - - - - - - आवेदक

विरुद्ध

म0प्र0 शासन - - - - - - - - - - - - - - - - - अनावेदक

आदेश

(मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172(1) केअन्तर्गत)
(आज दिनांक 23/7/88 को पारित)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक/समिति ने इस न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम नयापुरा प0ह0नं0 38 तहसील हुजूर भोपाल स्थित कृषि भूमि खसरा क्रमांक 25, 26, 27/2/3 कुल क्षेत्रफल 4-24 एकड़ का व्यपवर्तन आवासीय प्रयोजन हेतु किया जावे। प्रकरण जांच प्रतिवेदन हेतु अधीक्षक भू-अभिलेख परिवर्तित भूमि जिला भोपाल को भेजागया। अधीक्षक भू-अभिलेख परिवर्तित भूमि जिला भोपाल ने प्रकरण म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 172(1) केअन्तर्गत पंजीबद्ध कर जांच प्रतिवेदन सहित इस न्यायालय को प्रस्तुत किया।

2/ प्रकरण में उपलब्ध खसरा प्रति वर्ष 1987-88 से स्पष्ट है कि आवेदक/समिति राजस्व अभिलेखों में प्रनाधीन भूमि के भूमिस्वामी के रुप में अंकित है। आवेदक/समिति का पंजीयन क्रमांक डी0आर0बी0 318 दिनांक 6/2/83 है। आवेदक/संस्था ने कालोनी स्थापना हेतु कालोनाइजर्स रजिस्ट्रेशन लायसेंस क्रमांक 9/रीडर/85 दिनांक 4/6/85 जिलाध्यक्ष भोपाल से प्राप्त किया है जिसकी फोटो प्रति प्रकरण में संलग्न है। संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल के पत्र क्रमांक 1222 न0ग्रा0नि0/88 दिनांक 2/7/88 द्वारा लेख किया गया है कि समिति द्वारा आवासीय विकास किये जाने में: इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम पंचायत बैरागढ चीचली ने अपने पत्र दिनांक 15/6/88 द्वारा उक्त भूमि का अभिन्यास स्वीकृत करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया है। आवेदक/संस्था ने विकास व्यय की पूर्ति हेतु रुपये 2,70,000/- (दो लाख सत्तर हजार रुपये-मात्र) का स्टीमेट प्रस्तुत किया जिसका कि 1/5 भाग रुपये 54,000/- (चौवन-हजार रुपये मात्र) होता है। आवेदक/संस्था ने विकास व्यय की पूर्ति हेतु रुपये 13,500/- (तेरह हजार पांच सौ रुपये मात्र) की फिक्स डिपाजिट रसीद क्रमांक

--2

③

000766 दिनांक 16/7/88 द्वारा सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया शाखा टी0टी0नगर भोपाल में जमा करते हुये रसीद प्रस्तुत की है, जो प्रकरण में संलग्न है। जो कि विकास व्यय की राशि का 5 प्रतिशत है। शेष राशि के संबंध में आवेदक संस्था ने 15 प्रतिशत के संबंध में जमानतदार (1) राजवैद गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित भोपाल एवं (2) ब्रम्हस्वरूप बाजपेयी आ0 श्री ज्ञानस्वरूप बाजपेयी निवासी टी0टी0नगर भोपाल की जमानते प्रस्तुत की है, जो इस न्यायालय द्वारा स्वीकृत की जाती है। अधीक्षक भू-अभिलेख परिवर्तित भूमि जिला - भोपाल ने प्रस्तावित व्यपवर्तन करने की अनुशंसा की है।

3/ उपर्युक्त विवेचना के आधार पर आवेदक/संस्था के पक्ष में अविदित व्यपवर्तन संहिता की धारा 172(1) के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमत किया जाना आदेशित किया जाता है:-

(अ) प्रश्नाधीन क्षेत्र नगर निगम सीमा से बाहर होने से पुनर्निर्धारण भू-राजस्व रूपये 6258/-(छै हजार दो सौ अठठावन रूपये मात्र) वर्ष - 87-88 से कायम किया जाकर तदनुसार उसका कृषि भू-राजस्व कम किया जाना आदेशित किया जाता है।

(ब) प्रश्नाधीन ग्राम नगर निगम सीमा से बाहर होने से प्रब्याजि से मुक्त किया जाता है।

(स) आवेदक/संस्था को कालोनी का विकास तीन वर्ष में पूरा करना कराना होगा। सार्वजनिक निस्तार एवं पर्यावरण के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया जावेगा।

4/ यह आदेश आज दिनांक 23/7/88 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से प्रसारित किया गया।

हस्ता/-
अनुविभागीय अधिकारी
तहसील हुजूर, भोपाल

प्रतिलिपिकार
27/7/88

हुबहू प्रतिलिपिकार
कार्यालय भोपाल म. प्र.

पत्र प्राप्ति दिनांक 21/7/88
... को दी गई प्रति की दिनांक 27/7/88
... आवेदन ... 27/7/88

27/7/88
27/7/88
प्रतिलिपिकार

58

सत्यप्रतिलिपि आदेश दिनांक 17/12/87

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर भोपाल

प्रकरण क्रमांक 16/अ-2/87-88

राजहंस गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित भोपाल द्वारा अध्यक्ष श्री बी०एस०बाजपेयी निवासी भोपाल ~~अ~~ — आवेदक

विरुद्ध

म०प्र०शासन - - - - - - - - - - — अनावेदक

आदेश

(म०प्र० भू-राजस्व संहिता की धारा 172(1) के अन्तर्गत)
(आज दिनांक 17/12/87 को पारित)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक समिति ने इस न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम नयापुरा प०ह०नं० 38 तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित कृषि भूमि खसरा क्रमांक 68/1/1, 61/2/2/2, 68/2, 69, 70, 32/2, 32/6, 33, 34/11, 32/1, 32/8, 32/4, 33, 34/1, 33, 34/13, 33, 34/6, 32/5, 32/3, 32/7, 33, 34/12, 30/2 कुल रकबा 14-45 एकड़ का व्यपवर्तन आवासीय प्रयोजन हेतु किया जाय। प्रकरण जांच प्रतिवेदन हेतु अधीक्षक भू-अभिलेख परिवर्तित भूमि भोपाल ने प्रकरण म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172(1) के अन्तर्गत पंजीबद्ध कर जांच प्रतिवेदन सहित इस न्यायालय को प्रस्तुत किया।

2/ प्रकरण में उपलब्ध खसरा प्रति वर्ष 87-88 से स्पष्ट है कि आवेदक समिति राजस्व अभिलेख में प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी के रूप में अंकित है। आवेदक समिति का पंजीयन क्रमांक डी०आर०बी०318 दिनांक 8/2/83 है। आवेदक संस्था ने कलेक्टर भोपाल से कालोनाइजर्स लायसेंस क्रमांक 9/रीडर/85 दिनांक 4/6/85 प्राप्त कर लिया है। नगर एवं ग्रामीण निवेश विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 407 दिनांक 11/2/87 क्रमांक 2070 दिनांक 26/8/87 क्रमांक 2038 दिनांक 26/8/87 क्रमांक 2038/दिनांक 26/8/87 क्रमांक 2038/ दिनांक 26/8/87 क्रमांक 2042/दिनांक 26/7/87 के अनुसार उक्त भूमि विकास योजना क्षेत्र से बाहर होने से कृषि भिन्न योजना के प्रस्ताव नहीं है। नगर निगम भोपाल के पत्र क्रमांक 68/निग/स्व०शा०का०/87 दिनांक 2/9/87 में उल्लेख किया है कि उक्त ग्राम नगर निगम सीमा से बाहर स्थित है। भोपाल विकास प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 296/वि०का०प्रा०/85 दिनांक 18/10/84 में लेख किया गया है कि उक्त ग्राम की भूमि पर विकास प्राधिकरण की कोई योजना नहीं है। ग्राम पंचायत बेरागढ़ चीचली ने अपने पत्र दिनांक 22/11/87 में उक्त भूमि परिवर्तन की सहमति प्रकट करते हुये आउट प्लान स्वीकृत किया है। जो प्रकरण में संलग्न है। तथा इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। आवेदक संस्था ने उक्त भूमि के विकास कार्य हेतु रूपये 8,27,000/- (आठ लाख सत्ताईस हजार रूपये मात्र) का स्टीमेट प्रस्तुत किया है जिसका 1/5 भाग रूपये 1,65,400/- (एक लाख पैंसठ हजार चार सौ रूपये मात्र) होता है। आवेदक समिति द्वारा सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया टी०टी०नगर शाखा भोपाल में रूपये 41,350/- (इकतालीस हजार तीन सौ पचास रूपये मात्र) डिपाजिट कराते हुये रसीद क्रमांक [illegible] 10-000754 दिनांक 16/12/87 प्रस्तुत की है जो कि विकास व्यय की राशि का 25 प्रतिशत है। शेष [illegible] राशि के संबंध में आवेदक समिति ने समझौताकार राजवेद गृह निर्माण समिति को ग्राम नयापुरा स्थित 3-00 एकड़ भूमि एवं राजवेद गृह निर्माण समिति को ग्राम [illegible] स्थित 3-94 एकड़ भूमि की प्रत्याभूति प्रस्तुत की जो स्वीकृत की जाती है। अधीक्षक भू-अभिलेख परिवर्तित भूमि भोपाल ने प्रस्तावित व्यपवर्तन करने की अनुशंसा की है।

2717/91

--2

M/A7

BHOPAL INDIA

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर आवेदक समिति के पक्ष में आवेदित व्यपवर्तन संहिता की धारा 172(1) के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमत किया जाना आदेशित किया जाता है:-

(अ) आवेदक समिति को विकास कार्य आदेश पारित होने के तीन वर्ष की समयावधि में पूर्ण कराना अनिवार्य होगा। अनुमोदित लेआउट प्लान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जावेगा। सार्वजनिक सुविधा सड़क, नाली, पार्क, मैदान संबंधी कार्य समिति को कराया जाना आवश्यक होगा।

(ब) आवेदक समिति के विरुद्ध प्रब्याजीन परिवर्तन के संबंध में पुनः वि निर्धारण रुपये 20,457/- (बीस हजार चार सौ सत्तावन रुपये मात्र) वर्ष 87-88 से कायम किया जाकर तदानुसार उसका कृषि भू-राजस्व रुपये 43-15 पैसे कम किया जाना आदेशित किया जाता है।

(स) उक्त ग्राम नगर निगम सीमा से बाहर एवं 2000 की आबादी से कम है। अतः प्रब्याजि से मुक्त किया जाता है।

4/ यह आदेश आज दिनांक 17/12/87 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

सही/-
(रामस्वरूप शर्मा)
अनुविभागीय अधिकारी
तहसील हुजूर भोपाल

[illegible signature]
[illegible]
[illegible]
[illegible] भोपाल

1 प्रार्थना पत्र [illegible] ...2/11/87...
2 आवेदक को दी गई पेशी [illegible] ...
3 दिनांक जिसको [illegible] ...
4 [illegible]
5 [illegible] का दिनांक..........
6 [illegible] के लिए ....
7 [illegible]
8 [illegible] का दिनांक..........
9 नोटिस [illegible] का दिनांक
10 प्रतिलिपि [illegible] दिनांक [illegible]
10 प्रतिलिपि [illegible] दिनांक [illegible]
11 आवश्यक [illegible]..........
12 छोटे फीस लगाई गई..........

[illegible]दार लिपिक[illegible]

TRUE [illegible] ATTESTED
[signature]
T. R. SHA[illegible]A
[illegible]DIA)

सत्यप्रतिलिपि आदेश दिनांक 5/4/89
न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर भोपाल
प्रकरण क्रमांक 47/अ-2/88-89
राजहंस गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित भोपाल (म0प्र0)

- -

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर भोपाल (म0प्र0)

राजस्व प्रकरण क्रमांक 47/अ-2/88-89

राजहंस गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित,
भोपाल द्वारा अध्यक्ष श्री बी0एस0 बाजपेयी
निवासी भोपाल (म0प्र0) - - - - - - - - आवेदक

विरुद्ध

म0प्र0 शासन - - - - - - - - - - - - - अनावेदक

E/K

आदेश

(मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 172(1) के अन्तर्गत)

आज दिनांक 5/4/89

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक/समिति ने इस न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम गेहूंखेड़ा प0ह0नं038, तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि ख0नं03/1, 5, 44/1, 45/1, 46/1 रकबा 10.54 एकड़ का व्यपवर्तन आवासीय प्रयोजन हेतु किया जावे। प्रकरण जांच प्रतिवेदन हेतु अधीक्षक भू अभिलेख [illegible] भूमि जिला भोपाल [illegible] ने प्रकरण म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 172(1) के अन्तर्गत पंजीबद्ध कर जांच प्रतिवेदन सहित इस न्यायालय को प्रस्तुत किया।

2- प्रकरण में उपलब्ध खसरा प्रति वर्ष 1988-89 से स्पष्ट है कि आवेदक/समिति राजस्व अभिलेखों में प्रश्नाधीन भूमि के भूमि स्वामी के रूप में अंकित है। आवेदक समिति का पंजीयन क्रमांक डी0आर0बी0318 दिनांक 8/2/83 है। आवेदक/संस्था ने कलेक्टर भोपाल से कालोनी स्थापना हेतु लायसेंस क्रमांक 9/कॉलो/85 दिनांक 4/6/85 [illegible] प्राप्त किया है जिसकी छाया प्रति प्रकरण में संलग्न है। उप संचालक नगर एवं ग्राम निवेश विभाग भोपाल ने पत्र क्रमांक 2140, 2141, एवं 2145 दिनांक 25/11/88 द्वारा उपरोक्त भूमि शासन द्वारा स्वीकृत विकास योजना क्षेत्र एवं निवेश क्षेत्र से बाहर आती है। ग्राम पंचायत बैरागढ़ चीचली ने दिनांक निल द्वारा अभिमत स्वीकृत करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जो प्रकरण में संलग्न है। संस्था ने विकास व्यय हेतु रुपये 6,40,548/- (छः लाख चालीस हजार पांच सौ अड़तालीस रुपये मात्र) का प्राक्कलन प्रस्तुत किया है, जिसका कि 1/5 भाग रुपये 1,28,109/- (एक लाख अट्ठाईस हजार एक सौ नौ रुपये मात्र) होता है। आवेदक/संस्था ने इलाहाबाद बैंक माता मंदिर भोपाल में फिक्स्ड डिपाजिट रसीद क्रमांक 7578-35/40/80 दिनांक 29/3/89 द्वारा रुपये 32,050/- (बत्तीस हजार पचास रुपये मात्र) जमा कराते हुये रसीद [illegible]/प्रस्तुत की है, उक्त राशि विकास -2

[illegible] का लगभग 5 प्रतिशत है। रसीद प्रकरण में संलग्न है। शेष राशि के संबंध में आवेदक/संस्था ने जमानतदार (1) राजवैद गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित भोपाल की ग्राम नयापुरा स्थित 3-00 एकड़ भूमि एवं (2) [illegible] बाजपेयी आ0 [illegible] बाजपेयी की ग्राम [illegible] स्थित 10-00 एकड़ की जमानतें प्रस्तुत की है, जो इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जाती है।

3- उपर्युक्त विवेचना के आधार पर आवेदक/समिति के पक्ष में आवेदित व्यपवर्तन म.प्र. भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 172(1) के अन्तर्गत निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जाता है:-

(अ) आवेदक/समिति की ग्राम गेहूंखेड़ा स्थित भूमि ख0नं0 3/1, 5/1, 44/1, 45/1 एवं 46/1 कुल क्षेत्रफल 10-54 एकड़ पुनः निर्धारण भू राजस्व व्यावसायिक क्षेत्र 13068 वर्गफुट पर 1268/- रुपये एवं निवासीय क्षेत्र 446055 वर्गफुट पर 14497/- रुपये वर्ष 88-89 से कायम किया जाकर उसका पूर्व भू राजस्व 26-34 पैसे कम किया जाता है।

(ब) ग्राम गेहूंखेड़ा की आबादी 2000 से कम होने से प्रव्याजि से मुक्त किया जाता है।

(स) ग्रामीण एवं नगर निवेश भोपाल से अभिन्यास स्वीकृत कराना होगा। संस्था/समिति पर्यावरण के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करेगी।

4 यह आदेश आज दिनांक 5/4/89 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

ह0/-
अनुविभागीय अधिकारी
तहसील हुजूर भोपाल

6/4/89
12/4/89
6/4/89

6/4/89
हुजूर प्रतिलिपिकार
[illegible] कार्यालय भोपाल म. प्र.

6/4/89
6/4/89
3/-
6/4/89

(2) (38) (16)

सत्यप्रतिलिपि आदेश दिनांक 23/7/88
न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर भोपाल
प्रकरण क्रमांक 332/अ-2/87-88
राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित विरुद्ध शासन

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर भोपाल (म०प्र०)

राजस्व प्रकरण क्रमांक 332/अ-2/87-88

राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित
भोपाल द्वारा- अध्यक्ष श्री बी०एस० बाजपेयी
निवासी टी०टी०नगर भोपाल - - - - - - - - - - - आवेदक

विरुद्ध

म०प्र० शासन - - - - - - - - - - - - - - - - - - - अनावेदक

-आदेश-
(मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 172(1) के अन्तर्गत)
आज दिनांक 23/7/88 को पारित)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक/समिति ने इस न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम अकबरपुरा प०ह०नं० 39, तहसील हुजूर भोपाल स्थित कृषि भूमि खसरा क्रमांक 61, 77/1/4, 77/1/2, 77/4/1, 77/2, 77/1/3 कुल रकबा 16-79 एकड़ का व्यपवर्तन आवासीय प्रयोजन हेतु किया जावे। प्रकरण जाँच प्रतिवेदन हेतु अधीक्षक भू-अभिलेख परिवर्तित भूमि जिला भोपाल को भेजा गया। अधीक्षक भू-अभिलेख परिवर्तित भूमि जिला भोपाल ने प्रकरण म०प्र०भू०राजस्व संहिता 1959 की धारा 172(1) के अन्तर्गत पंजीबद्ध कर जाँच प्रतिवेदन सहित इस न्यायालय को प्रस्तुत किया।

2/ प्रकरण में उपलब्ध खसरा प्रति वर्ष 1987-88 से स्पष्ट है कि आवेदक/समिति राजस्व अभिलेखों में प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी के रूप में अंकित है। आवेदक समिति का पंजीयन क्रमांक डी०आर०बी० 318 दिनांक 6/2/1983 है। आवेदक संस्था ने कालोनी स्थापना हेतु कालोनाइजर्स लायसेंस क्रमांक 9/रीडर/85 दिनांक 4/6/88 जिलाध्यक्ष भोपाल से प्राप्त किया है, जिसकी फोटो प्रति प्रकरण में संलग्न है। संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल के पत्र क्रमांक 1222/न०ग्रा०नि०/88 दिनांक 2-7-88 द्वारा लेख किया गया है कि समिति द्वारा आवासीय विकास किये जाने में इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम पंचायत बैरागढ़ चीचली ने अपने पत्र दिनांक 15/6/88 द्वारा उक्त भूमि का अभिन्यास स्वीकृत करते हुये अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया है। आवेदक/संस्था ने विकास व्यय की पूर्ति हेतु रुपये 5,25,000/ (पाँच लाख पच्चीस हजार रुपये मात्र) का स्टीमेट प्रस्तुत किया है जिसका कि 1/5 भाग रुपये 1,05000/-(एक लाख पाँच हजार रुपये मात्र) होता है। आवेदक संस्था ने विकास व्यय की पूर्ति हेतु रुपये 26,250/-(छब्बीस हजार दो सो पचास-रुपये मात्र) का फिक्स डिपाजिट रसीद क्रमांक 000764 दिनांक 19/7/88 द्वारा

--2

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया टी0टी0नगर शाखा भोपाल में जमा कराते हुए रसीद प्रस्तुत की है, जो प्रकरण में संलग्न है, जो कि विकास व्यय की राशि का 5 प्रतिशत है। शेष राशि के प्रबंध में आवेदक/संस्था ने 15 प्रतिशत के प्रबंध में जमानतदार राजवैद्य गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित भोपाल एवं ब्रह्मस्वरूप बाजपेयी एवं अमरस्वरूप बाजपेयी निवासी टी0टी0नगर भोपाल की जमानते प्रस्तुत की है, जो इस न्यायालय द्वारा स्वीकृत की जाती है। अधीक्षक भू-अभिलेख परिवर्तित भूमि जिला भोपाल ने प्रस्तावित व्यपवर्तन करने की अनुशंसा की है।

3/ उपर्युक्त विवेचना के आधार पर आवेदक/संस्था के पक्ष में ~~अपेक्षित~~ आवेदित व्यपवर्तन संहिता की धारा 172(1) के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमत किया जाना आदेशित किया जाता है:-

(अ) प्रश्नाधीन क्षेत्र नगर निगम सीमा के बाहर होने से पुर्न निर्धारण भू राजस्व रुपये 23,407/- (तेईस हजार चार सौ सात रुपये मात्र) वर्ष 87-88 से कायम किया जाकर उसका मूल भू राजस्व कम किया जाना आदेशित किया जाता है।

(ब) प्रश्नाधीन ग्राम नगर निगम सीमा से बाहर होने से प्रब्याज से मुक्त किया जाता है।

(स) आवेदक/संस्था को कालोनी का विकास तीन वर्ष में पूरा कराना होगा। सार्वजनिक निस्तार एवं पर्यावरण के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया जावेगा।

4/ यह आदेश आज दिनांक 23/7/88 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से प्रसारित किया गया।

हस्ता/-
अनुविभागीय अधिकारी
तहसील हुजूर, भोपाल

ह. [illegible] 27/7/88
मुख्य प्रतिलिपिकार
जिलाध्यक्ष कार्यालय भोपाल म॰ प्र॰

1 ... 23/7/88
2 ... 27/7/88
3 ... 27/7/88
4 ... [illegible]
... 6 या 7 पूरा करने का दिनांक ...
... की दिनांक 27/7/88
... दिनांक 27/7/88
10 ... [illegible]
11 ... 2.00
12 ... 27/7/88

प्रतिलिपिकार | मिलानकर्ता | मुख्य प्रतिलिपिकार

सत्यप्रतिलिपि आदेश दिनांक 17/12/87
न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तह0हुजूर भोपाल
राजस्व प्रकरण क्रमांक 15/अ-2/87-88
राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी समिति विरुद्ध म0प्र0शासन,

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर भोपाल (म0प्र0)
राजस्व प्र0क्र015/अ-2/87-88

"राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित भोपाल,
द्वारा अध्यक्ष-श्री बी0एल0बाजपेयी निवासी भोपाल. ---- आवेदक
विरुद्ध
म0प्र0शासन ---------------------------- अनावेदक

"आदेश"
(म0प्र0 भू-राजस्व संहिता की धारा 172(1) के अन्तर्गत)
आज दिनांक 17/12/87 को पारित

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रश्नाधीन आवेदक/समिति ने इस न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम मेंडोरा प0ह0नं038, तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित कृषि भूमि खसरा क्रमांक 24,25/1/1 कुल रकबा 6-70 एकड़ का व्यपवर्तन आवासीय प्रयोजन हेतु किया जाये। प्रकरण जांच प्रतिवेदन हेतु अधीक्षक भू-अभिलेख परिवर्तित भूमि शाखा भोपाल ने प्रकरण म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172(1) के अंतर्गत पंजीबद्ध कर जांच प्रतिवेदन सहित इस न्यायालय को प्रस्तुत किया।

2/ प्रकरण में उपलब्ध खसरा प्रति वर्ष 87-88 से स्पष्ट है कि आवेदक/समिति राजस्व अभिलेख में प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी के रूप में अंकित है। आवेदक/समिति का पंजीयन क्रमांक डी0आर0बी0 318 दिनांक 8/2/83 है। आवेदक/संस्था ने कलेक्टर भोपाल से कालोनाईजर्स लायसेंस क्रमांक 9/लोक0/85 दिनांक 4/6/85 प्राप्त कर लिया है। नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 2066/उप0स0/दिनांक 26/8/87 के अनुसार उक्त भूमि विकास योजना क्षेत्र से बाहर होने से कृषि भिन्न प्रयोजन योजना के प्रस्ताव नहीं है। ग्राम पंचायत बैरागढ चीचली ने अपने पत्र दिनांक 22/11/87 में उक्त भूमि परिवर्तन की सहमति प्रकट करते हुये लेआउट प्लान स्वीकृत किया, है जो प्रकरण में संलग्न है, तथा इस न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया। अब आवेदक/संस्था ने उक्त भूमि के विकास कार्य हेतु रूपये4,77,630=00 (चार लाख सतहत्तर हजार छः सौ तीस रुपये मात्र) का स्टीमेन्ट प्रस्तुत किया है, जिसका 1/5 भाग रूपये 95,526/-(पिन्चानवे हजार पांच सौ - छब्बीस रुपये) होता है। आवेदक/समिति द्वारा सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया टी0टी0 नगर शाखा भोपाल में रूपये 23,900/-(तेईस हजार नौ सौ रूपये मात्र) का फिक्स डिपाजिट करते हुये रसीद क्रमांक एस0टी0डी0-000756 दिनांक - 17/12/87 प्रस्तुत की है, जो कि विकास व्यय की राशि का 5 प्रतिशत (अर्थात 15 प्रतिशत के अंदर में आवेदक/समितिने जमानतदार ब्रह्मस्वरूप बाजपेयी को ग्राम महाबड़िया स्थित 11-45 एकड़ भूमि की जमानत प्रस्तुत की है, जो स्वीकृत की जाती है। अधीक्षक भू-अभिलेख परिवर्तित भूमि शाखा भोपाल ने प्रश्नाधीन व्यपवर्तन करने की अनुशंसा की है।

(हस्ताक्षर)
मुख्य प्रतिलिपिकार
जिला न्यायालय भोपाल

3/ उपर्युक्त विवेचना के आधार पर आवेदक/समिति के पक्ष में आवेदित व्यपवर्तन संहिता की धारा 172(1) के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमत किया जाना आदेशित किया जाता है:-

(अ) आवेदक/समिति को विकास कार्य आदेश पारित होने के 3 वर्ष की समयावधि में पूर्ण कराना अनिवार्य होगा। अनुमोदित लेआउट प्लान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जावेगा। सार्वजनिक सुविधायें सड़क, नाली, पार्क, मैदान संबंधी कार्य समिति को कराना अनिवार्य होगा।

(ब) आवेदक/समिति के विरुद्ध प्रयोजनाधीन परिवर्तन के संबंध में पुनर्निर्धारित भू-राजस्व रुपये 9485/- (नौ हजार चार सौ पिच्यासी रुपये मात्र) वर्ष 87-88 से कायम किया जाकर तदनुसार उसका कृषि भू-राजस्व रुपये 26-70 पैसे कम किया जाना आदेशित किया जाता है।

(स) उक्त ग्राम नगर निगम सीमा से बाहर एवं 2000 की आबादी से कम है, अतः प्रब्याजि से मुक्त किया जाता है।

4/ यह आदेश आज दिनांक 17/12/87 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

सही/-

(रामस्वरूप शर्मा)
अनुविभागीय अधिकारी
तहसील हुजूर भोपाल

सत्यप्रतिलिपि
[illegible]
प्रतिलिपिकार
[illegible] भोपाल

आवेदन प [illegible] ...21/1/93...
आवेदक को [illegible] की दिनांक ... [illegible]
[illegible] ...22/1/93...
[illegible] पत्र (पूर्व [illegible] सहित या रहित) [illegible]
[illegible] की दिनांक ....
[illegible] पत्र। गय रिकार्ड या रक्षित अन्य [illegible]
[illegible] के लिये ....
[illegible] पूर्व [illegible] हेतु ताकीद करने की [illegible]
आवश्यक [illegible] जमा करने के लिये [illegible]
[illegible] ....
[illegible] 7 पूरा करने का दिनांक ....
[illegible] ...2/1/93...
10 [illegible] ...2/1/93...
11 [illegible] ...[illegible]...
12 कोर्ट फीस [illegible] ...[illegible]...

[illegible] प्रतिलिपिकार [illegible] [illegible]

सत्यप्रतिलिपि आदेश दिनांक 17/12/87
न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जि. भोपाल
प्रकरण क्रमांक 17/अ 2/87-88
राजहंस गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या० भोपाल विरुद्ध म०प्र०:

- -

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर भोपाल

राजस्व प्रकरण क्रमांक 17/अ

राजहंस गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित भोपाल द्वारा अध्यक्ष श्री पी०एन० बाजपेयी, निवासी भोपाल - - - आ

विरुद्ध

म०प्र० शासन - अनावेदक

'आदेश'

(म०प्र० भू-राजस्व संहिता की धारा 172(1) के अंतर्गत
आज दिनांक 17/12/87 को पारित)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक/समिति न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि अकबरपुर प०ह०नं० 39, तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित कृषि भूमि क्रमांक 69, 71, 75/2, 81, 82, 86/2, 73/2/4, 73/1, 73/3/1, 73/2 कुल रकबा 10-72 एकड़ का व्यपवर्तन आवासीय प्रयोजन हेतु किया जावे। जांच प्रतिवेदन हेतु अधीक्षक भू-अभिलेख परिवर्तित भूमि जिला भोपाल को भेजा गया। अधीक्षक भू-अभिलेख परिवर्तित भूमि भोपाल ने म०प्र० भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 172(1) के अन्तर्गत जांच प्रतिवेदन सहित इस न्यायालय को प्रस्तुत किया।

2/ प्रकरण में उपलब्ध खसरा पृ० वर्ष 87-88 से स्पष्ट है कि समिति राजस्व अभिलेख में प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी के रूप में है। आवेदक/ समिति का पंजीयन क्रमांक डी०आर०एस० 3[illegible] दिनांक [illegible] 85 दिनांक 4/6/85 प्राप्त कर लिया है। आवेदक संस्था ने कलेक्टर भोपाल के कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक [illegible] भोपाल के पत्र क्रमांक 2050, 2062, 2046 दिनांक 26/8/87 [illegible] भूमि विकास योजना क्षेत्र से बाहर होने से कृषि भिन्न [illegible] नहीं है। नगर निगम भोपाल के पत्र क्रमांक 678/नि०वि०/[illegible] एवं पत्र क्रमांक 68/नि०वि०/87 दिनांक 2/9/87 में उल्लेख [illegible] उक्त ग्राम नगर निगम सीमा से बाहर स्थित है। भोपाल [illegible] के पत्र 296/वि०क०अ०/84 दिनांक 18/10/84 एवं [illegible]/वि०क०अ०/85 [illegible] 8/7/85 में लेख किया गया है कि उक्त ग्राम की भूमि पर विकास की कोई योजना नहीं है। ग्राम पंचायत बेरागढ़ चीचली ने [illegible] 22/11/87 में उक्त भूमि पर व्यपवर्तन की सहमति प्रकट करते हुये [illegible] स्वीकृत किया गया है जो प्रकरण में संलग्न है। तदार्थ [illegible] न्यायालय [illegible] अनुमोदित आवेदक संस्था ने उक्त भूमि के [illegible] रुपये 6,[illegible] (छः लाख बयालीस हजार [illegible] मात्र) का स्टीमेट प्रस्तुत किया है [illegible] 1/5 भाग रुपये 1, 28, 400/- (एक लाख अठ्ठाइस हजार [illegible]) होता है। आवेदक समिति द्वारा सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया टी०टी० नगर भोपाल में रुपये 32, 100/- (बत्तीस हजार एक सौ रुपये मात्र) का डिपाजिट करते हुये रसीद क्रमांक [illegible] 0007[illegible] दिनांक 16/12/8[illegible] [illegible] है जो कि विकास व्यय की राशि का 5 प्रतिशत है। [illegible] के संबंध में आवेदक समिति ने जमानतदार [illegible] बाजपेयी की स्थित 10-00 एकड़ भूमि [illegible] की ग्राम रतनपुर स्थित एकड़ भूमि की जमानतें प्रस्तुत की। जो स्वीकृत की जाती है। अधीक्षक भू-

--2

2/11/97
मुख्य प्रतिलिपिकार
कार्यालय [illegible] भोपाल

(15)

...नगर परिवर्तित भूमि जिला भोपाल ने प्रस्तावित व्यपवर्तन करने की अनुशंसा की है।

3/ उपर्युक्त विवेचना के आधार पर प्रश्न आवेदक/समिति के पक्ष में आवेदित व्यपवर्तन, संहिता की धारा 172(1) के अधीन निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमति किया जाना आदेशित किया जाता है:-

(अ) आवेदक/समिति को विकास कार्य आदेश पारित होने के 3 वर्ष का समयावधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। अनुमोदित ले-आउट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जायेगा। सार्वजनिक सुविधा सड़क, नाली, पार्क, मैदान संबंधी कार्य समिति को कराना अनिवार्य होगा।

(ब) आवेदक/समिति के विरुद्ध प्रस्तावित परिवर्तन के संबंध में पुनर्निर्धारण भू-राजस्व रुपये 13,177/- (पन्द्रह हजार एक सौ सतत्तर मात्र) वर्ष 87-88 से कायम किया जाकर तदनुसार उसका कृषि भू-राजस्व रुपये 10-30 पैसे कम किया जाना आदेशित किया जाता है।

(स) ग्राम नगर निगम सीमा से बाहर एवं 2000 की आबादी से कम है, अतः प्रब्याजि से मुक्त किया जाता है।

4/ यह आदेश आज दिनांक 17/12/87 को मेरे हस्ताक्षर से एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

सही/-
(रामस्वरूप राम)
अनुविभागीय अधिकारी
तहसील हुजूर भोपाल

[signature]
2/1/93

... प्रतिलिपि
... सत्य प्रतिलिपि ...

नकल के लिए आवेदन दिनांक 31/1/93
आवेदक को दी गई पेशी की दिनांक 2/2/93
दिनांक जिसको नकल तैयार हुई 2/1/93
आवेदन पत्र (पूर्ण/अपूर्ण स्टाम्प सहित या रहित) ...
... की दिनांक ...
... के लिए ...
... पर पूर्ण विवरण देने की दिनांक ...
... अतिरिक्त ... जमा करने के लिए ...
... दिनांक ...
... 4 से 7 पूरा करने का दिनांक ...
... 2/1/93 ...
... 2/1/93
प्रतिलिपिकार

प्रतिलिपिकार   मिलानकर्ता   मुहर ...

सत्यप्रतिलिपि आदेश दिनांक 5/4/89
न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तह. हुजूर भोपाल
प्रकरण क्रमांक 48/अ-2/88-89
राजर्षि गृह निर्माण सहकारी समिति विरुद्ध शासन

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर भोपाल म.प्र.

राजस्व प्रकरण क्र. 48/अ-2/88-89

राजर्षि गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, भोपाल (म0प्र0) द्वारा अध्यक्ष बी0एस0 बाजपेयी, निवासी भोपाल - - - - - - - - - - आवेदक

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन - - - - - - - - - - अनावेदक

:: आ दे श ::

(मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 172(1) के अन्तर्गत)

:: आज दिनांक 5/4/89 ::

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक/समिति ने इस न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम मनापुरा प0 ह0 नं0 38, तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि ख0 क्र0 63,68/1/2/ख 73/1/3, 61/2/2/2/3/2 रकबा 13-21 एकड़ का व्यपवर्तन आवासीय प्रयोजन हेतु किया जाये। प्रकरण जांच प्रतिवेदन हेतु अधीक्षक भू-अभिलेख परिवर्तित भूमि जिला भोपाल को भेजा गया। अधीक्षक भू-अभिलेख परिवर्तित भूमि जिला भोपाल ने प्रकरण म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172(1) के अन्तर्गत पंजीबद्ध कर जांच प्रतिवेदन सहित इस न्यायालय को प्रस्तुत किया।

2/- प्रकरण में उपलब्ध खसरा प्रति वर्ष 1988-89 से स्पष्ट है कि आवेदक/समिति राजस्व अभिलेखों में प्रश्नाधीन भूमि के रूप में अंकित है आवेदक/समिति का पंजीयन क्रमांक डी0 आर0 बी0 318 दिनांक 8/2/83 है। आवेदक/समिति ने कलेक्टर भोपाल से कालोनी स्थापना हेतु लायसेंस क्रमांक 9/रीडर/85 दिनांक 4/6/85 प्राप्त किया है, जिसकी छाया प्रति प्रकरण

में संलग्न है। नगर एवं ग्रामीण नियोजन निवेश संचालनालय भोपाल के पत्र क्र0 223/88 दिनांक 2/7/88 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया है। भोपाल विकास प्राधिकरण भोपाल ने अपने पत्र क्र0 73/वि0 का अ0 /85 दि0 8/7/85 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिसकी छाया प्रति प्रकरण में संलग्न है। सरपंच ग्राम पंचायत बैरागढ़ चीचली ने दिनांक 20/3/89 द्वारा अभिन्यास स्वीकृत करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, जो प्रकरण में संलग्न है। संस्था ने विकास व्यय हेतु रुपये 7,76,900/- [सात लाख छियत्तर हजार नौ सौ रुपये मात्र] का प्रस्तुत किया है, जिसका कि 1/5 भाग रुपये 1,55,380/- [एक लाख पचपन हजार तीन सौ अस्सी रुपये मात्र] होता है। आवेदक/संस्था ने इलाहाबाद बैंक माता मंदिर भोपाल में फिक्स डिपाजिट रसीद क्र0 757834/40/79 द्वारा दिनांक 20/3/89 द्वारा रुपये 38,850/- [अड़तीस हजार आठ सौ पचास रुपये मात्र] जमा कराते हुए रसीद प्रस्तुत की है, जो प्रकरण में संलग्न है उक्त राशि विकास व्यय का 5 प्रतिशत है शेष राशि के संबंध में आवेदक/संस्था ने जमानतदार [1] [1] प्रेमस्वरूप वाजपेयी की ग्राम चीचली की 10 एकड़ [2] [illegible] आ0 [illegible]राम की ग्राम रतनपुर स्थित 3-94 एकड़ की जमानतें प्रस्तुत की हैं, जो इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जाती हैं।

3/- उपर्युक्त विवेचना के आधार पर आवेदक/समिति के पक्ष में आवेदित व्यपवर्तन भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 172[1] के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जाता है। :-

[अ] आवेदक/समिति की ग्राम नयापुरा स्थित भूमि ख0 क्र0 63, 68/1/2[अ] एवं 71/1/3 कुल रकबा 11-31 एकड़ पर पुनर्-निर्धारण भू-राजस्व 15,757/- वर्ष 88-89 से कायम किया जाकर उसका कृषि भू-राजस्व 13-33 पैसे मात्र समाप्त किया जाता है।

2/4/89

// 3 ::

(ब) ग्राम न्यापुरा की आबादी 2000 से कम होने से प्रव्याजि से मुक्त किया जाता है।

(स) ग्रामीण एवं नगर निवेश भोपाल से अभिन्यास स्वीकृत कराना होगा। समिति पर्यावरण के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेगी।

4/- यह आदेश आज दिनांक 5/4/89 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

हस्ता/-
अनुविभागीय अधिकारी,
तहसील हुजूर, भोपाल

2/4/89
2/4/89
2/4/89
2/4/89

2/4/89
2/4/89
2/4/89

सत्यप्रतिलिपि आदेश दिनांक 15-5-90
न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर भोपाल
प्रकरण क्रमांक 96/अ-2/89-90
राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, भोपाल

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर, भोपाल

राजस्व प्र०क्र० 96/अ-2/89-90

राजहर्ष गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित,
भोपाल द्वारा अध्यक्ष श्री बी० एस० वाजपेयी,
निवासी टी० टी० नगर, भोपाल ------------- आवेदक

विरुद्ध

म०प्र० शासन ------------------------- अनावेदक

-:: आ दे श ::-

-::: मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 172(1) के अन्तर्गत:::-
-:: आज दिनांक 15-5-90 को पारित ::-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक/समिति ने इस न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम गेहूंखेड़ा प० ह० नं० 38, तहसील हुजूर भोपाल स्थित कृषि भूमि खसरा क्रमांक 35/1, 36/1, 36/4, 37 कुल रकबा 17-01 एकड़ का व्यपवर्तन आवासीय प्रयोजन हेतु किया जावे, प्रकरण जांच प्रतिवेदन हेतु अधीक्षक भू-अभिलेख परिवर्तित भूमि जिला भोपाल को भेजा गया, अधीक्षक भू-अभिलेख परिवर्तित भूमि जिला भोपाल ने प्रकरण म०प्र० भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 172(1) के अन्तर्गत पंजीबद्ध कर जांच प्रतिवेदन सहित इस न्यायालय को प्रस्तुत किया

2:- प्रकरण में उपलब्ध खसरा प्रति वर्ष 89-90 से स्पष्ट है कि आवेदक/समिति राजस्व अभिलेखों में प्रश्नाधीन भूमि के भूमिस्वामी के रूप में अंकित है, आवेदक/समिति का पंजीयन क्रमांक डी०आर०बी० 518 दिनांक 6-2-83 है, आवेदक/संस्था ने कालोनी स्थापना हेतु कालोनाईजर्स लायसेंस क्रमांक 9/दो-ए/85 दिनांक 4-6-85 जिलाध्यक्ष भोपाल से प्राप्त किया है, जिसकी छाया प्रति प्रकरण में संलग्न है, संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल के पत्र क्रमांक 626/न०ग्रा०नि०/89 दिनांक /4/89 द्वारा लेख किया गया है कि समिति द्वारा आवासीय विकास किए जाने में इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है कार्यालय उप

(2)

प्रमुख प्रतिलिपिकार
जिला कार्यालय भोपाल म.प्र.

संचालक नगर एवं ग्रामीण नियोजन भोपाल के पत्र क्रमांक 1720/387/न0ग्रा0नि0/89 दिनांक 25-11-89 द्वारा दर्शाया है कि स्वीकृत विकास योजना क्षेत्र एवं निवेश क्षेत्र के बाहर आता है. निवेश क्षेत्र के बाहर के भूमि उपयोग संबंधी रिकार्ड उपलब्ध न होने के कारण भूमि उपयोग संबंधी जानकारी दिया जाना संभव नहीं है. ग्राम पंचायत बैरागढ़ चीचली ने अपने पत्र दिनांक - . द्वारा उक्त भूमि का अभिन्यास स्वीकृत करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया है; जो इस न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया जाता है. आवेदक संस्था ने विकास कार्य हेतु रुपये 5,35,878-65 पैसे|पांच लाख पैंतीस हजार आठ सौ अठहत्तर रुपये पैंसठ पैसे मात्र | का प्राक्कलन प्रस्तुत किया है, जिसका कि 1/5 भाग रुपये 1,07,200/- |एक लाख सात हजार दो सौ रुपये मात्र| होता है. आवेदक/संस्था ने विकास व्यय की पूर्ति हेतु रुपये 27,000/- |सत्ताईस हजार रुपये मात्र| का फिक्स डिपाजिट रसीद क्रमांक जी-094568 दिनांक 12.5.90 द्वारा सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया टी0टी0 नगर शाखा भोपाल में जमा कराते हुए रसीद प्रस्तुत की है, जो प्रकरण में संलग्न है. उक्त राशि विकास व्यय का पांच प्रतिशत है. शेष 15 प्रतिशत के संबंध में आवेदक/समिति ने जमानतदार |1|सुरेशचन्द्र आ0 श्री एस0 के0 बाजपेयी की ग्राम चीचली स्थित 2-00 एकड़ भूमि एवं |2|भगवत आ0 श्री नन्नूराम की ग्राम अकबरपुरा स्थित 10-08 ए एकड़ की जमानतें प्रस्तुत की है, जो इस न्यायालय द्वारा स्वीकृत की जाती है. अधीक्षक भू-अभिलेख परिवर्तित भूमि जिला भोपाल ने प्रस्तावित व्यपवर्तन करने की अनुशंसा की है.

3:- उपर्युक्त विवेचना के आधार पर आवेदक/संस्था के पक्ष में आवेदित व्यपवर्तन संहिता की धारा 172|1| के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमत किया जाना आदेशित किया जाता है :-

|अ| प्रश्नाधीन भूमि पर पुनः-निर्धारण भू-राजस्व आवासीय क्षेत्र 7,27,452 वर्गफुट पर आवासीय पर रुपये 23,642-20 एवं व्यवसायिक क्षेत्र 13,504 वर्गफुट पर रुपये 1,309-90 पैसे अर्थात कुल पुनः निर्धारण भू-राजस्व रुपये 24,952-10 पैसे वर्ष 89-90 से कायम किया जाकर उसका कृषि भू-राजस्व कम किया जाता है ।

[ब] प्रश्नाधीन ग्राम नगर निगम सीमा से बाहर होने से पुष्प्राप्ति से मुक्त किया जाता है

[स] आवेदक/समिति को नियमानुसार 15 प्रतिशत भूमि गन्दी बस्ती निर्मूलन मंडल भोपाल को सौंपना होगी

[द] सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के विपरित आवेदक/समिति कोई कार्य नहीं करेगी

[इ] नगर एवं ग्रामीण निवेश विभाग भोपाल से ले-आउट अनुमोदन कराना होगा

6:- यह आदेश आज दिनांक 15.5.90 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया ।

हस्ता/-15.5.90
अनुविभागीय अधिकारी,
तहसील हुजूर, भोपाल

प्रतिलिपिकार मिलानकर्ता मुहर